दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

दिसंबर भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- एलपीजी कनेक्शन: समस्या और समाधान 5
- शहरी विकास को नया आकार 7
- भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और व्यय 9

आर्थिक घटनाक्रम **12**

- भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 12
- रेलवे संपत्तियों का मुद्रीकरण 14
- हरित क्रांति' के लिये व्हाईट मॉडल 16
- कृषि ऋण के लिये ARCs: आवश्यकता और चुनौतियाँ 17
- न्यूनतम समर्थन मूल्य: समस्याएँ और विस्तार 19

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **22**

- भारत-रूस संबंध: संभावनाएँ और चुनौतियाँ 22

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **25**

- इलेक्ट्रिक वाहन- भारत का भविष्य 25

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **28**

- जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा 28

सामाजिक न्याय **31**

- महिला कार्यबल और महिलाओं के खिलाफ अपराध 31

- भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता 33

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

एलपीजी कनेक्शन: समस्या और समाधान

संदर्भ

'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी-2019' के अनुसार, खाना बनाने के लिये ठोस ईंधन का उपयोग भारत में वायु प्रदूषण और और इसके कारण होने वाली समय-पूर्व मौतों (प्रति वर्ष लगभग 600,000 से अधिक) का एक प्रमुख कारक हैं।

इस समस्या से निपटने और स्वच्छ रसोई ऊर्जा तक पहुँच में सुधार करने हेतु भारत सरकार ने कई उपाय किये हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) योजना जिसके तहत 80 मिलियन से अधिक सब्सिडीयुक्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किये गए।

किंतु एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में निरंतर वृद्धि एक वर्ष से अधिक समय से कई परिवारों के बजट को प्रभावित कर रही है।

कम आय वाले परिवारों के लिये एलपीजी रिफिल पर सब्सिडी बहाल करने से उन्हें प्रदूषणकारी पारंपरिक रसोई ईंधन की ओर पुन: पलायन करने से रोका जा सकता है।

भारत की एलपीजी क्रांति

- एलपीजी कनेक्शन की संख्या में वृद्धि: ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water- CEEW) और सतत् ऊर्जा नीति पहल (Initiative for Sustainable Energy Policy) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'भारत आवास-संबंधी ऊर्जा सर्वेक्षण' (India Residential Energy Survey- IRES) 2020 के अनुसार एलपीजी (LPG) ने अब भारत के सबसे प्रमुख और आम रसोई ईंधन के रूप में बायोमास को प्रतिस्थापित कर दिया है।
  - वर्तमान में लगभग 85% भारतीय घरों में एलपीजी कनेक्शन मौजूद है और वर्तमान में 71% घरों में इसका उपयोग अपने प्राथमिक रसोई ईंधन के रूप में किया जा रहा है, जबकि एक दशक पूर्व यह संख्या मात्र 30% थी।
  - रुझानों में इस परिवर्तन का श्रेय उज्ज्वला योजना की सफलता, उपभोग-संबद्ध सब्सिडी और एलपीजी वितरण तंत्र की क्रमिक मज़बूती को दिया जा सकता है।
- उज्ज्वला योजना की उपलब्धियाँ: PMUY के पहले चरण में दलित और आदिवासी समुदायों सहित 8 करोड़ गरीब परिवारों को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये गए।
  - देश में रसोई गैस अवसंरचना का कई गुना विस्तार हुआ है। पिछले छह वर्षों में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं।
- संबद्ध समस्याएँ:
  - उच्च एलपीजी कीमतें और महामारी-प्रेरित समस्याएँ: मौजूदा रीफिल कीमतों पर, एक औसत भारतीय परिवार को अपनी सभी रसोई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एलपीजी पर अपने मासिक खर्च का लगभग 10% व्यय करना होगा, जो कि रसोई ऊर्जा पर अनुमानित व्यय के वास्तविक हिस्से का सीधा दोगुना है (मार्च 2020 तक की स्थिति)।
    - वर्तमान कीमतों पर पूरी तरह से एलपीजी की ओर जाने में सभी भारतीय परिवारों में से लगभग आधे के लिये उनके रसोई ऊर्जा का व्यय लगभग दोगुना हो जाएगा।
    - कोविड-19 महामारी के दौरान आय और आजीविका को लगे आघात ने परिवारों के लिये नियमित रूप से एलपीजी खर्च का वहन कर सकने की क्षमता को प्रभावित किया है।
  - रिफिल सब्सिडी नहीं: एलपीजी रिफिल की कीमत नवंबर, 2021 में पिछले वर्ष (लगभग 600 रुपए) की तुलना में 50% से अधिक बढ़ गई है।

नोट :

- इसके अतिरिक्त, मई 2020 के बाद से किसी रीफिल सब्सिडी का नहीं होना इस वास्तविक चिंता को जन्म दे रहा है कि कई परिवार जलावन लकड़ी एवं गोबर के उपलों जैसे प्रदूषणकारी ठोस ईंधन की ओर लौट सकते हैं।

- एलपीजी के बजाय बायोमास का उपयोग: लगभग 30% भारतीय परिवार उनके प्राथमिक रसोई ईंधन के रूप में बायोमास पर निर्भर हैं, जिसका मुख्य कारण एलपीजी की उच्च कीमतें हैं। अन्य 24% परिवार बायोमास और एलपीजी का साथ-साथ उपयोग करते हैं।
  - रसोई के लिये बायोमास का उपयोग मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है।
  - शहरी मलिन बस्तियाँ भी प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ खाना पकाने के लिये बायोमास का उपयोग व्यापक रूप से प्रचलित है।
  - मुफ्त बायोमास की आसान उपलब्धता और एलपीजी रिफिल की होम डिलीवरी की कमी एक विश्वसनीय और सस्ते विकल्प के रूप में एलपीजी की प्रभावकारिता को और कम कर देती है।
- एलपीजी की अनुपलब्धता: ग्रामीण एलपीजी उपयोगकर्त्ताओं के आधे को ही एलपीजी रिफिल की होम डिलीवरी प्राप्त होती है, जबकि शेष लोगों को सिलेंडर पाने के लिये लगभग 5-10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।
  - एलपीजी सिलिंडरों की होम डिलीवरी में शहरी इलाकों में भी अंतराल मौजूद है, विशेष रूप से मलिन बस्ती क्षेत्रों में, जो फिर शहरी मलिन बस्ती परिवारों के बीच बायोमास के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

आगे की राह

- एलपीजी सब्सिडी बहाल करना: घरों में एलपीजी के उपयोग को समर्थन देने के लिये सब्सिडी को फिर से शुरू करना महत्त्वपूर्ण होगा।
  - आकलन बताते हैं कि एलपीजी रिफिल की प्रभावी कीमत यह सुनिश्चित कर सकती है कि रसोई ऊर्जा पर वास्तविक घरेलू खर्च का औसत हिस्सा महामारी से पहले के स्तरों से मेल खाता हो।
  - कम-से-कम उन परिवारों के लिये सब्सिडी फिर से बहाल कर देनी चाहिये जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किये गए हैं।
- 'ज़रूरतमंद लाभार्थियों' की पहचान करना: सरकार लाभार्थियों की पहचान करने के लिये विविध दृष्टिकोणों को आज़मा सकती है, जैसे कि सब्सिडी प्रावधान को प्रतिवर्ष सात से आठ एलपीजी रिफिल तक सीमित करना और सुदृढ़ संकेतकों का उपयोग कर संपन्न परिवारों को दायरे से बाहर निकालना।
  - उदाहरण के लिये, एलपीजी सब्सिडी के लिये आय-आधारित बहिर्वेशन सीमा को कम करने या गैर-व्यावसायिक चार पहिया वाहन रखने वाले परिवारों को बाहर करने से पात्र लाभार्थियों की संख्या में पर्याप्त कमी आ सकती है।
  - डी-डुप्लीकेशन को प्रभावी बनाने के लिये मौजूदा लाभार्थियों के साथ ही नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर दर्ज किये जा सकते हैं, जबकि वितरकों के सॉफ्टवेयर में उपयुक्त उपाय के साथ अपात्र लाभार्थियों को सब्सिडीयुक्त एलपीजी जारी किये जाने पर रोक लगाई जा सकती है।
- उज्ज्वला योजना का विस्तार: शहरी और अर्द्ध-शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों तक उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाना चाहिये।
  - जिन घरों में एलपीजी नहीं है, उन्हें कनेक्शन प्रदान कर जनसंख्या का उच्च एलपीजी कवरेज प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- एलपीजी की समय पर उपलब्धता को बढ़ावा देना: एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने और समयबद्ध सेवा आपूर्ति के कार्यान्वयन की आवश्यकता है, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ बड़ी संख्या में उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किये गए हैं और बड़ी गरीब आबादी का वास है।
  - ग्रामीण वितरकों के लिये उच्च प्रोत्साहन द्वारा इसका सहयोग किया जाना चाहिये, जिन्हें अन्यथा एकसमान कमीशन पर कम लेकिन वितरित मांग को पूरा करना पड़ता है।
  - स्वयं सहायता समूहों को संलग्न किये जाने से भी सुदूर क्षेत्रों में कुल मांग में वृद्धि होगी और रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- बायोमास के लिये वैकल्पिक उपयोग को सुविधाजनक बनाना: स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास के लिये विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाइयों में (जो औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये ब्रिकेट और पैलेट का निर्माण करेंगे) स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित पायलट पहलों के माध्यम से एक नया बाज़ार सृजित किया जा सकता है।

नोट :

- परिवारों को कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्रों (जो SATAT योजना के तहत स्थापित किये जा रहे) को स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास (पराली या उपले सहित) की आपूर्ति के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- इस तरह के उपाय स्थानीय आय एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेंगे, और बदले में ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से एलपीजी के उपयोग के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

PMUY और उज्ज्वला 2.0 जैसी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ स्वच्छ रसोई ऊर्जा को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालाँकि, भारतीय परिवारों को प्रदूषणकारी ठोस रसोई ईंधन से दूर रखने और योजनाओं में किये गए निवेश के लाभों को प्राप्त करने के लिये वहनीयता (सस्ते मूल्य) की सुनिश्चितता और रिफिल के लिये एलपीजी सिलिंडर की समयबद्ध उपलब्धता आवश्यक है। इस तरह के प्रयास आबादी के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार के लिये भी व्यापक रूप से लाभदायक सिद्ध होंगे।

शहरी विकास को नया आकार

संदर्भ

भारत लगभग दो दशकों से विश्व की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है और वर्ष 2047- स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में विश्व की शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की महत्त्वाकांक्षा रखता है।

भारत के इस आर्थिक विकास में इसके शहरों की प्रमुख भूमिका रही है। भारत के शहर देश के आर्थिक 'पावरहाउस' माने जाते हैं और बेहतर जीवन की चाह रखने वाली एक बड़ी ग्रामीण आबादी के लिये चुंबक की तरह कार्य करते हैं। हाल के कुछ वर्षों में, विशेष रूप से शहरों और शहरी निवासियों के विकास के लिये कई योजनाएँ शुरू की गई हैं।

हालाँकि शहरों के विकास के लिये किये गए प्रयासों के संदर्भ में प्राप्त परिणाम निराशाजनक ही रहे हैं। इसका प्रमुख ज़िम्मेदार खराब योजना-निर्माण, अवसंरचनात्मक कमियों और शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) की बदतर स्थिति को ठहराया जा सकता है।

भारत में शहरी विकास

- शहरीकरण की गति: वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (National Commission on Population) ने अनुमान लगाया कि 2011-2036 के दौरान भारत की जनसंख्या 1,211 मिलियन से बढ़कर 1,518 मिलियन हो जाएगी। माना जाता है कि जनसंख्या में 73% से अधिक वृद्धि के लिये शहरी विकास का प्रमुख योगदान होगा।
  - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत में 50% शहरीकरण हो जाएगा।
- अर्थव्यवस्था में शहरी भारत का योगदान: शहर देश की केवल 3% भूमि की हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 70% से अधिक का योगदान करते हैं जो उनकी उच्चस्तरीय आर्थिक उत्पादकता को रेखांकित करता है।
- शहरी विकास के लिये सरकार की पहल: सरकार ने प्रत्येक घर को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने और शहरी समस्याओं के समाधान के लिये प्रौद्योगिकी सक्षमता हेतु कई पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें हैं:
  - शहरी विकास से संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रम:
    - स्मार्ट सिटी
    - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन- अमृत मिशन (AMRUT)
    - स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
    - धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना- हृदय (HRIDAY)
    - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

नोट :

- मलिन बस्तियों में रहने वालों/शहरी गरीबों के लिये सरकार की पहल:
  - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
  - आत्मनिर्भर भारत अभियान

शहरों के विकास के मार्ग की चुनौतियाँ

- शहर-केंद्रित समस्याएँ: वायु प्रदूषण, शहरी बाढ़ और सूखा जैसी कई शहर-केंद्रित समस्याएँ शहरी भारत के समग्र विकास में प्रमुख बाधाओं के रूप में मौजूद हैं, जो अवसंरचनात्मक कमियों एवं अपर्याप्त योजनाबद्धता को सूचित करते हैं।
  - भूमि-उपयोग निर्णय प्राय: उन परिणामों के पर्याप्त अनुभवजन्य मूल्यांकन के बिना ले लिये जाते हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी को और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को बाधित करते हैं।
- शहरी क्षेत्रों का अनुचित वर्गीकरण: भारत में 'शहरी' (Urban) और 'ग्रामीण' (Rural) क्षेत्रों को परिभाषित करने के मापदंड/मानक बुनियादी रूप से चुनौतीपूर्ण हैं।
  - शहरी क्षेत्र के रूप में गिने जाने वाले 7,933 शहरों में से लगभग आधे को जनगणना कस्बों (Census Towns) का दर्जा प्राप्त है और वे ग्रामीण निकायों के रूप में शासित किये जा रहे हैं, जो अनियोजित शहरीकरण की भेद्यता में वृद्धि ही करता है।
- सांविधिक कस्बों का अनियोजित विकास: यहाँ तक कि वे शहरी बस्तियाँ भी जिन्हें 'सांविधिक कस्बा' (Statutory Towns) का दर्जा प्राप्त है, अनिवार्य रूप से योजनाबद्ध तरीके से ही विकसित नहीं किये जा रहे हैं। भारत में लगभग 52% सांविधिक कस्बों के पास किसी भी तरह का 'मास्टर प्लान' नहीं है।
  - नियोजित/योजनाबद्ध विकास का अधिकांश ध्यान महानगरीय शहरों (क्लास 1 टाउन) पर केंद्रित है।
  - छोटे एवं मध्यम आकार के शहर (क्लास 2, 3 और 4 टाउन), जो देश की कुल आबादी के 26% को आश्रय देते हैं, पर भी यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम समान स्तर का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष विद्यमान समस्याएँ: ULBs के पास अपनी संपत्तियों के मूल्य की पूरी जानकारी का अभाव है।
  - एक प्रमुख समस्या यह भी है कि नवोन्मेषी उपायों के माध्यम से अपनी वित्तीय सीमाओं को दूर करने के लिये ULBs के पास पर्याप्त क्षमता की कमी है।
  - वे रेट और कवरेज के मामले में पर्याप्त संपत्ति कर एकत्र करने में भी अक्षम बने रहे हैं।
- शहरी परिवहन की समस्याएँ: भारत में जनसंख्या-बसों की उपलब्धता का अनुपात प्रति 1,000 लोगों पर 1.2 है, जो थाईलैंड में 8.6 और दक्षिण अफ्रीका में 6.5 की तुलना में पर्याप्त कम ही माना जा सकता है।
  - राज्य सरकारें, जो शहरी विकास पर प्रभावी नियंत्रण रखती हैं, परिवहन को विनियमित करने के लिये समग्र प्राधिकरणों के कार्यान्वयन में विफल रही हैं।
  - मौजूदा प्रतिमान बहुसंख्यक आबादी के लिये मेट्रो और बस सेवाओं को महँगा बनाते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जो आवास की लागत के कारण मुख्य शहर के बाहर उपनगरों में रहने को विवश हैं।

आगे की राह

- समावेशी शहरी विकास के लिये एकीकरण: बढ़ी हुई महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि सस्ते आंतरिक-शहर आवास (रेंटल प्रोजेक्ट, नागरिक सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सहित), वर्द्धित संवहनीयता और हरियाली आदि को परिवहन दृष्टिकोण के साथ एकीकृत किया जा सके।
  - ये सभी विषय शहरों के लिये केंद्रीय बजटीय योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि एकीकरण के माध्यम से ही समावेशी शहरीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- शहरी विकास दृष्टिकोण पर पुनर्विचार: सतत् विकास लक्ष्यों और संयुक्त राष्ट्र शहरी एजेंडा की पूर्ति के लिये सरकार को देश की बस्तियों और उनके बीच संपर्क तंत्र की योजनाबद्धता और प्रबंधन के तरीके पर पुनर्विचार करने और इन्हें नया रूप देने की आवश्यकता होगी।

नोट :

- शहरों को बाज़ार के रूप में, कई संस्कृतियों के मिलन स्थल के रूप में एवं रोज़गार अवसरों के सृजक के रूप में देखा जाना चाहिये और इसके साथ ही, उनके भीतर एवं आसपास के प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है।

- योजनागत और अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करना: देश में क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, ताकि शहर शहरीकरण के लाभ प्राप्त कर सकें और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्माण के लिये आवश्यक आर्थिक गति का सृजन कर सकें।
  - इसके लिये कई चक्रों को तोड़े जाने और शहरी नियोजन, प्रबंधन एवं वित्त में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।
  - इसके साथ ही, इन संरचनाओं को लागत-कुशल सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के आधार पर बनाया जाना चाहिये, जो अंतिम-दूरी संपर्क को सुनिश्चित करता है।
- स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी की भूमिका: शहरी भारत के जैविक विकास और संस्कृति से अच्छी तरह अवगत घरेलू निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारतीय प्रतिभा के उपयोग से भारत के लिये समाधानों के सृजन हेतु संपोषित और संघटित करने की आवश्यकता है।
  - नवाचारों और शहरी सरोकारों के बीच की खाई को सावधानीपूर्वक पाटने के लिये स्टार्टअप्स को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
  - एकीकृत योजनाबद्धता सुनिश्चित करने के लिये शहरी नियोजन शिक्षा में प्रौद्योगिकी को मुख्य आधार बनाने की आवश्यकता है।
- नागरिकों की भागीदारी: शहर-निर्माण में नागरिकों को हितधारक बनाया जाना चाहिये, जहाँ शहर नियोजन प्रक्रियाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाए।
  - शहरों में निवास करने वाले लोगों को भी प्रबुद्ध एवं जागरूक होना चाहिये कि शहरों को किस प्रकार संवहनीय वास-योग्य और समावेशी बनाया जाए।
- राज्य सरकारों की भूमिका: राज्य सरकारों को एक 'राज्य शहरीकरण रणनीति' विकसित करनी चाहिये, जो उद्योग एवं पर्यटन से लेकर कृषि एवं पर्यावरण तक सभी क्षेत्रीय नीतियों की अनिवार्यताओं को एकबद्ध कर दे।
  - जब तक यह एकीकरण नहीं होगा, स्थानिक और आर्थिक नीति के बीच सामंजस्य कायम नहीं हो सकेगा।

निष्कर्ष

शहर निरंतर विकास से गुज़रते रहते हैं; वे न केवल आर्थिक विकास के चालक हैं, बल्कि वैश्विक ज्ञान के आदान-प्रदान और नवाचार अवसरों के लिये चुंबक की तरह भी होते हैं। उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम बनाने के लिये, शहरों के नियोजन को (जिसमें भूमि-उपयोग, आवास, परिवहन जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं) को नया रूप देना महत्त्वपूर्ण है।

भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और व्यय

संदर्भ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts- NHA) तकनीकी सचिवालय ने हाल ही में वर्ष 2017-18 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के निष्कर्षों का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को दर्शाता है।

रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में 'आउट-ऑफ पॉकेट एक्स्पेंडिंचर' (OOPE) 50% से कम हो गया है।

ये सुधार निश्चय ही सराहनीय हैं, लेकिन भारत के सार्वजनिक व्यय की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। इसके साथ ही, NHA रिपोर्ट के निष्कर्षों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना भी आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट के निष्कर्ष

- सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, OOPE में गिरावट: NHA के अनुसार सरकार ने स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि की है, जिससे आउट-ऑफ पॉकेट एक्स्पेंडिंचर (OOPE) वर्ष 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो वर्ष 2013-14 में 64.2% के स्तर पर रहा था।
  - यह दर्शाता है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक व्यय पूर्व में अधिकतम 1-1.2% से आगे बढ़ता हुआ सकल घरेलू उत्पाद के 1.35% के ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुँच गया।

नोट :

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की हिस्सेदारी: वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 में 51.1% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 54.7% हो गई।
  - वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय का 80% से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल पर किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय: स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय (जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
- स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के कारण: NHA 2017-18 में नज़र आई वृद्धि मुख्य रूप से केंद्र सरकार के व्यय में वृद्धि के कारण है, जहाँ वर्ष 2017-18 के लिये स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक व्यय में इसकी हिस्सेदारी 40.8% तक पहुँच गई।
  - वास्तव में यह वृद्धि मुख्यत: रक्षा चिकित्सा सेवाओं (Defence Medical Services- DMS) के व्यय को तीन गुना करने के कारण हुई है।

रिपोर्ट द्वारा उजागर प्रमुख समस्याएँ

- स्वास्थ्य पर व्यय अभी भी अपेक्षाकृत कम: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में या प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर भारत का कुल सार्वजनिक व्यय अभी भी विश्व में न्यूनतम में से एक है।
  - यद्यपि इसे जीडीपी के कम-से-कम 2.5% तक बढ़ाने के लिये एक दशक से अधिक समय से नीतिगत सहमति रही है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
- महिला एवं बाल स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता: वर्ष 2016-18 की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) पर व्यय में मात्र 16% की वृद्धि हुई।
  - प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों (जो संयुक्त रूप से एक तिहाई जनसंख्या का निर्माण करते हैं) के स्वास्थ्य को DMS के दायरे में शामिल परिवारों की तुलना में कम प्राथमिकता दी गई।
  - इसके अलावा, सरकारी व्यय के अंतर्गत वर्तमान स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 77.9% (वर्ष 2016-17) से घटकर 71.9% (वर्ष 2017-18) रह गया।
- पूंजीगत व्यय को शामिल करने से अति-गणना की समस्या: उदाहरण के लिये, एक नवस्थापित अस्पताल आगामी कई वर्षों तक लोगों की सेवा करता है। इस प्रकार, किये गए व्यय का उपयोग सृजित पूंजी के जीवनकाल के लिये किया जाता है और उपयोग उस विशेष वर्ष तक सीमित नहीं होता है जिसमें यह व्यय किया जाता है। किसी विशिष्ट वर्ष के लिये पूंजीगत व्यय की गणना करने से गंभीर अति-गणना या ओवरकाउंटिंग की स्थिति बनती है।
  - इस पर विचार करते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने स्वास्थ्य मद के आकलनों से पूंजीगत व्यय को छोड़ने और इसके बजाय चालू स्वास्थ्य व्यय पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव किया है।
  - किंतु भारत में NHA के आकलनों में उच्च सार्वजनिक निवेश दिखाने के लिये पूंजीगत व्यय को गणना में शामिल किया जाता है। इससे भारत के संबंध में आकलन विश्व के अन्य देशों के साथ अतुलनीय हो जाते हैं।
    - स्वास्थ्य आकलनों से पूंजीगत व्यय को निकाल देने पर भारत का वर्तमान स्वास्थ्य व्यय जीडीपी के मात्र 0.97% तक कम हो जाता है।
- OOPE में गिरावट स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उपयोग में गिरावट का एक परिणाम: वर्ष 2017-18 में OOPE में न केवल कुल स्वास्थ्य व्यय के एक हिस्से के रूप मंय बल्कि नॉमिनल एवं रियल टर्म्स में भी गिरावट आई है।
  - NSSO 2017-18 के आँकड़े बताते हैं कि इस अवधि के दौरान लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2014 की तुलना में अस्पताल-भर्ती देखभाल (Hospitalisation Care) के उपयोग में भी गिरावट आई।
  - OOPE में गिरावट मुख्यत: अधिक वित्तीय सुरक्षा के बजाय देखभाल के उपयोग में गिरावट के कारण आई।
- राज्य सरकारों को सौंपे गए प्राधिकारों की कमी: भारत में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और राज्य का व्यय सभी सरकारी स्वास्थ्य व्यय का लगभग 68.6% है।

नोट :

- किंतु केंद्र सरकार ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में प्रमुख शक्ति बनी हुई रहती है, क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञता वाले मुख्य निकाय उसके नियंत्रण में होते हैं।
- कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिये विभिन्न राज्यों के बीच राजकोषीय अवसरों में व्यापक भिन्नता मौजूद है, क्योंकि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय के मामले में उनकी भिन्न क्षमताएँ हैं।

आगे की राह

- स्वास्थ्य देखभाल में अधिक सार्वजनिक निवेश: विभिन्न विकासशील देशों के अनुभव से पता चलता है कि जैसे-जैसे स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, देखभाल सुविधाओं का उपयोग भी बढ़ता है।
  - सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा अधिक सस्ती और वहनीय हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप लोग स्वास्थ्य सेवा तक अधिक पहुँच प्राप्त करेंगे।
- शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना: भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक सरकारी वित्तपोषण की आवश्यकता है। जहाँ तक शहरी स्थानीय निकायों की बात है, इसे पूरक वृद्धिशील वित्तीय आवंटन के साथ ही स्वास्थ्य नेतृत्व का प्रदर्शन कर सकने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता है।
  - इसके लिये यह भी आवश्यक है कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय हो, स्वास्थ्य विषय में अधिकाधिक नागरिक संलग्नता सुनिश्चित की जाए, जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाए और तकनीकी एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक बहु-विषयक समूह के तहत प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया जाए।
- नए मेडिकल कॉलेजों के लिये निवेश: एम्स जैसे कुछेक उत्कृष्ट संस्थानों से परे लागत को कम करने के लिये अन्य मेडिकल कॉलेजों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि लागत को कम किया जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- टैक्स में कमी लाना: अतिरिक्त कर कटौती के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना ताकि नई दवाओं के विकास में अधिकाधिक निवेश को अवसर दिया जा सके और जीवन-रक्षक एवं अन्य आवश्यक दवाओं पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को कम किया जा सके।
- स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण: लोगों को प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को तैयार कर सकने के लिये उनके प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण और ज्ञान उन्नयन पर प्रमुखता से ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

संदर्भ

यह अभूतपूर्व इनोवेशन और प्रोद्योगिकी हस्तक्षेपों का युग है, जो स्टार्टअप के उभार से लाभान्वित हुआ है और परिवर्तनकारी उत्पादों, व्यापार मॉडल और पूंजी से लैस होकर समाज के समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है।

वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र है (स्टार्टअप की संख्या के अनुसार) जहाँ वर्ष 2010 में 5000 स्टार्टअप्स की तुलना में वर्ष 2020 में 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स की स्थापना हुई। इस स्टार्टअप पारितंत्र के अंतर्निहित प्रवर्तकों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) और एक राष्ट्रीय भुगतान स्टैक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के बीच भारत में केवल वर्ष 2021 में ही इतनी संख्या में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप) सामने आए हैं, जितने वर्ष 2011-20 की पूरी दशकीय अवधि में भी नहीं आए थे।

हालाँकि, अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जो भारत में स्टार्टअप्स की वास्तविक क्षमता को साकार करने में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

भारत में स्टार्टअप क्षेत्र

- स्टार्टअप क्षेत्र में निवेश बढ़ाना: एक निजी संगठन (VCCircle) के साप्ताहिक स्टार्टअप सर्वेक्षण ने स्टार्टअप क्षेत्र में मज़बूत अंतर्वाह दर्शाया है।
  - नए उद्यमों से जुड़े निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी सौदों के कुल मूल्य में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है (42 सौदों के संपन्न होने के साथ लगभग 1.7 बिलियन डॉलर जुटाए गए हैं)।
  - 'स्लाइस' (Slice- बंगलूर स्थित फिनटेक) वर्ष 2021 में निवेशकों से 220 मिलियन डॉलर जुटाने के बाद भारत की 41वीं (और नवीनतम) यूनिकॉर्न बन गई थी।
- भारत में यूनिकॉर्न: भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है (अमेरिका और चीन से पीछे, लेकिन यू.के. और जर्मनी से आगे।)
  - जबकि फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के इस परिघटना का नेतृत्व किया है और यूनिकॉर्न पारितंत्र की स्थापना में अग्रणी बने रहे हैं, एडटेक (EdTech), खाद्य वितरण और मोबिलिटी जैसे अन्य क्षेत्रों ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।
  - वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक 33 यूनिकॉर्न की संचयी संख्या के मुकाबले अकेले वर्ष 2021 में ही 41 स्टार्टअप यूनिकॉर्न का उदय हुआ है।
- सरकारी नीतियों की भूमिका और विदेशी मुद्रा अंतर्वाह: स्टार्टअप की दिशा में भारत की बदलती नीतियों एवं सुधारों के साथ विभिन्न सरकारी पहलों ने भारतीय स्टार्टअप के विकास में मदद की है।
  - भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र में विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह (विशेष रूप से फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी टेक कंपनियों की ओर से) घरेलू बाज़ार की अपार संभावनाओं का संकेत देता है।
- प्रौद्योगिकी की भूमिका: प्रौद्योगिकी ने अग्रणी व्यवसाय मॉडल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - अधिकांश यूनिकॉर्न ने आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने से लेकर अपने ग्राहकों के लिये मूल्य प्रस्ताव को बढ़ाने तक, सभी संभावित तरीकों से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।
  - लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने कई व्यवसायों को पारंपरिक स्वरूप को छोड़ डिजिटल रूप से संचालित परिचालन में परिवर्तित होने के लिये प्रेरित किया, जिससे बाज़ार की शक्तियों के लिये बेहतर अवसरों का निर्माण हुआ है।

नोट :

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स आदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए कई स्टार्टअप ने बाज़ार में मौजूद व्यापक अंतराल को पाटने की दिशा में काम किया।

- यूनिकॉर्न, रोज़गार और महिला उद्यमी: भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र 44 यूनिकॉर्न द्वारा 106 बिलियन डॉलर के मूल्य-सृजन और 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार अवसर उत्पन्न करने के साथ किसी क्रांति से कम नहीं है।
  - इसके अलावा, महिला उद्यमियों ने भी स्टार्टअप पारितंत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है (उदाहरण के लिये 'CashKaro' की स्वाति भार्गव और 'Nykaa' की फाल्गुनी नायर)।

संबद्ध चुनौतियाँ

- निवेश बढ़ाना स्टार्टअप की सफलता सुनिश्चित नहीं करता: कोविड-19 संकट के बीच जब केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में तरलता जारी की है, तो पैसा जुटाना कोई कठिन काम नहीं है।
  - हालाँकि इस प्रकार के निवेशों से इन स्टार्टअप्स के अस्तित्व में बने रहने की सुनिश्चितता बढ़ नहीं जाती, क्योंकि वह लाभ की स्थिति पर निर्भर करता है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत अभी भी एक सीमांत खिलाड़ी: जबकि फिनटेक और ई-कॉमर्स क्षेत्र में भारत के स्टार्टअप असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र अभी भी स्टार्टअप के लिये एक बाहरी क्षेत्र बना हुआ है।
  - वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 440 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है।
    - यह परिदृश्य इस तथ्य के बावजूद है कि भारत एंड-टू-एंड क्षमता के साथ उपग्रह निर्माण, संवर्द्धित प्रक्षेपण यान के विकास और अंतरग्रहीय मिशनों को तैनात करने के मामले में एक अग्रणी अंतरिक्ष-अन्वेषी देश है।
  - अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वतंत्र निजी भागीदारी की कमी के कारणों में एक ऐसे ढाँचे का अभाव प्रमुख है जो कानूनों के संबंध में पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करे।
- भारतीय निवेशक जोखिम लेने को तैयार नहीं: भारत के स्टार्टअप क्षेत्र के बड़े निवेशक विदेशों से हैं, जैसे जापान का सॉफ्टबैंक, चीन का अलीबाबा और अमेरिका का सिकोइया (Sequoia)।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि भारत में एक गंभीर उद्यम पूंजी उद्योग का अभाव है जो जोखिम लेने को तैयार हो।
  - देश के स्थापित कारोबारी समूह प्राय: पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े रहे हैं।

आगे की राह

- अधिक निवेश महत्त्वपूर्ण है: यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि सारे यूनिकॉर्न ही वृहत सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। हालाँकि, इस धारणा के आधार पर जोखिम लेने की क्षमता भी कम नहीं होनी चाहिये।
  - निवेशकों के दाँव सफलता लाते हों या नहीं, लेकिन ऐसी सभी निवेश मूल्य-सृजन के संपोषण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जो आने वाले दशकों में तीव्र विस्तार के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था को नए संसाधनों से लैस कर सकते हैं।
- नीतिगत हस्तक्षेप: नीतिगत पक्ष-समर्थन ने कुछ वर्षों के लिये स्टार्टअप आय पर कर में छूट देने जैसे उपायों के माध्यम से स्टार्टअप क्षेत्र की उल्लेखनीय रूप से सहायता की है।
  - हालाँकि, कर्मियों को जारी किये जाते स्टॉक विकल्पों का कराधान अत्यंत जटिल है।
    - आरंभिक चरण के निवेशकों द्वारा किये गए निवेश और पूंजीगत लाभ पर लेवी को भी कुछ अधिक स्पष्टता के साथ कम किया जा सकता है।
  - जटिल कर नियमों में देयता की ओवरलैपिंग प्राय: अधिकारियों को अपने विवेकाधीन अधिकार का दुरुपयोग करने का अवसर देती है।
    - निवेशकों को हतोत्साहित करने वाले ऐसे परिदृश्यों के दायरे को कम करने की ज़रूरत है और कर सुधार लाकर व्याप्त अस्पष्टता को समाप्त किया जाना चाहिये। इस दिशा में शीर्ष स्तर के हस्तक्षेप से मदद मिलेगी।

नोट :

- अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिये विधायी ढाँचा: अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप पारितंत्र के संबंध में कानूनों में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने करने के लिये एक सुदृढ़ ढाँचे की आवश्यकता है।
  - बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) के अनुरूप और मूल्य शृंखला के विशिष्ट भागों को संबोधित करने के लिये कानूनों को कई खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता है।
- पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना: देश के नीति निर्माताओं, जोखिम लेने वाली कंपनियों और फंडिंग एजेंसियों को घरेलू पूंजी की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अनुकूल माहौल बनाने की ज़रूरत है।
  - नवाचार को प्रोत्साहित करने और उभरते व्यापार मॉडल को समर्थन देने वाले उपयुक्त नियमों को रूपाकार प्रदान करने में नियामकों अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
  - स्थानीय वित्तपोषण को बढ़ावा देने के अलावा, सरकार और कॉर्पोरेट संस्थाओं को प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से वृहत स्तर पर निवेश करने की आवश्यकता होगी, ताकि दीर्घावधि में स्टार्टअप निवेशों को जोखिम-मुक्त बनाया जा सके।

रेलवे संपत्तियों का मुद्रीकरण

संदर्भ

1.3 बिलियन के देश में भारतीय रेलवे दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। किंतु, हाल के वर्षों में रेलवे को घटते वित्त की समस्या का सामना करना पड़ा है और वह विभिन्न माध्यमों से राजस्व सृजन के तरीकों पर विचार करने को बाध्य हुई है।

चूँकि माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु रेलवे अवसंरचना में वृद्धि पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वित्तपोषण, क्षमता और पुनर्विकास संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये उल्लेखनीय निवेश की आवश्यकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में रेलवे की आस्तियों का मुद्रीकरण महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह निजी खिलाड़ियों की ओर धन के अधिकाधिक प्रवाह का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत में रेलवे

- भारतीय रेलवे का महत्त्व: भारतीय रेलवे 1,21,407 किमी. लंबे नेटवर्क और 67,368 किमी. से अधिक लंबाई के कुल ट्रैक के साथ आकार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
  - भारतीय रेलवे में 1.3 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं।
  - मालगाड़ियाँ वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।
    - यह 90% से अधिक कोयले का परिवहन करता है जो देश की बिजली आवश्यकता के 50% की पूर्ति करते हैं।
- रेलवे क्षेत्र को वित्तीय सहायता: वर्ष 2014 रेलवे के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षण था जब सरकार ने न केवल रेलवे में निजी निवेश की अनुमति देकर बल्कि रेलवे के बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देकर ठोस सुधारों की शुरुआत की।
  - निर्माण, परिचालन और रखरखाव श्रेणी के तहत सूचीबद्ध 10 क्षेत्रों/गतिविधियों को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा रेलवे और संबंधित क्षेत्रों पर जारी आँकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' प्रवाह 1.23 बिलियन डॉलर रहा।
    - हालाँकि यह भारत में कुल FDI प्रवाह का मात्र 0.23% था।
- रेलवे के लिये पहल: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) और राष्ट्रीय रेल योजना (National Rail Plan- NRP) का मसौदा, 2020 रेलवे क्षेत्र के विकास के लिये एक विस्तृत संपत्ति-स्तरीय योजना प्रदान करते हैं।
  - NIP में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कुल 13.7 ट्रिलियन रुपए के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 1.6 ट्रिलियन रुपए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के माध्यम से अपेक्षित है।

नोट :

- NRP के मसौदे के तहत आगामी तीन दशकों के लिये इस क्षेत्र के लिये एक रणनीतिक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें यात्रियों के लिये बेस्ट-इन-क्लास सेवाएँ प्रदान करना जारी रखते हुए रेलवे के मोडल शेयर/माल भाड़ा (Modal Share /Freight) को 26% से बढ़ाकर 45% करना शामिल है।

- रेलवे और संपत्तिमुद्रीकरण: 'संपत्ति मुद्रीकरण' (Asset Monetisation) अब तक अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य को 'अनलॉक' कर राजस्व के नए स्रोतों का सृजन करना है।
  - ऐसी ही एक पहल 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) है जो निजी कंपनियों को सरकार के स्वामित्व वाली अवसंरचना (जैसे राजमार्ग, गैस पाइपलाइन और रेलवे) को लीज़ और परिचालन के लिये एक तंत्र प्रदान करती है।
  - रेलवे से अनुमानित 1.5 ट्रिलियन रुपए के राजस्व की उम्मीद है और यह 6 ट्रिलियन रुपए की समग्र पाइपलाइन में 25% का योगदान करेगा।

भारतीय रेलवे के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- वित्तपोषण संबंधी समस्या: राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद से रेलवे मुख्य रूप से सरकारी सहायता पर ही निर्भर रहा है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिये पर्याप्त धन का सृजन करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
  - अधिकांश धनराशि अभी भी परिचालन व्यय के अंतर्गत समाहित है।
- बदतर अवसंरचना के कारण दुर्घटनाएँ: रेलवे में अवसंरचना और वित्तपोषण की चुनौतियाँ ट्रेनों की टक्कर, उनके पटरी से उतरने और लेवल-क्रॉसिंग दुर्घटनाओं के रूप में प्रकट होती रही हैं।
- राजस्व हानि: पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21) में कोविड-प्रेरित व्यवधान के परिणामस्वरूप यात्री/सवारी खंड में 38,017 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई।
- विशाल पुनर्विकास लागत: आकलन के अनुसार, अचल संपत्ति के विकास के साथ-साथ 125 स्टेशनों के पुनर्विकास में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- यात्री ट्रेनों की अपर्याप्त क्षमता: यात्री ट्रेनों की क्षमता अपर्याप्तता (Under-Capacity) इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि औसतन 15% टिकट धारक प्रतीक्षा-सूची में शामिल होते हैं।
  - अकेले वर्ष 2018-19 में ही 8.84 करोड़ से अधिक यात्री इसलिये यात्रा नहीं कर सके क्योंकि वे प्रतीक्षा सूची में थे और उनके लिये जगह उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

आगे की राह

- रेलवे का मुद्रीकरण—भविष्य की राह: रेलवे का मुद्रीकरण एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है, क्योंकि यह न्यून उपयोग की शिकार रेलवे संपत्तियों को बेहतर उपयोग की राह पर ले जा सकता है और भारत में रेलवे अवसंरचना के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक धन प्रदान कर सकता है।
- रेलवे का कायापलट: दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये भारत को अपने हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना होगा।
  - भारतीय रेलवे विजन 2020 (Indian Railways Vision 2020) रिपोर्ट ने प्रकाश डाला है कि भारतीय रेलवे को अमेरिका, फ्राँस, जापान और जर्मनी जैसे देशों में ट्रेनों की गति और रूट-किलोमीटर प्रति मिलियन जनसंख्या की सेवा जैसे पहलुओं (जो किसी देश में रेल संपर्क के स्तर के मापक हैं) के संदर्भ में बराबरी करने की आवश्यकता है।
- नीतिगत पहलों का कुशल कार्यान्वयन: NMP के कुशल कार्यान्वयन से धन का एक बड़ा प्रवाह सुनिश्चित होगा जो यात्री ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों, माल टर्मिनलों, रेलवे कॉलोनियों और रेलवे पटरियों के लिये अवसंरचना और परिचालन लॉजिस्टिक्स को व्यापक रूप से उन्नत करने में काम आएगा।

नोट :

- रेलवे परिसंपत्तियों का उपयोग: यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद से हमारी रेलवे परिसंपत्ति का एक बड़ा हिस्सा या तो अप्रयुक्त या न्यून उपयोग का शिकार है।
  - रेलवे ट्रैक के किनारे की भूमि दूरसंचार कंपनियों को केबल बिछाने के लिये लीज़ पर दी जा सकती है।
  - साथ ही निजी कंपनियों के लिये लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में फ्रेट टर्मिनलों के उपयोग को सक्षम करना और एक अन्य राजस्व धारा उत्पन्न करना विवेकपूर्ण होगा।
- मज़बूत निवेश आवश्यक: निजी क्षेत्र द्वारा मज़बूत निवेश वर्ष 2023 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, टिकट बुकिंग में आसानी, ऑनलाइन माल ढुलाई सेवाओं जैसे सरकार के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।
- क्षमता अपर्याप्तता को कम करना: यात्री गाड़ियों की क्षमता अपर्याप्तता की समस्या को कम करने के लिये हाई-डिमांड रूट्स में 12 समूहों की पहचान की गई है, जिससे 30,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश प्राप्त होना अपेक्षित है और जो 109 मार्गों पर 150 आधुनिक ट्रेनों के योग के रूप में योगदान कर सकेगा। इस तरह की पहल को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

- भारतीय रेलवे प्रतिदिन इसका उपयोग करने वाले 30 मिलियन से अधिक नागरिकों के लिये 'लाइफलाइन' की तरह है। रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण और ट्रेनों की गति में वृद्धि भारत के कार्यबल को और अधिक उत्पादक बनाने की दिशा में दीर्घकालिक योगदान कर सकेंगे।
- एक ठोस आर्थिक तर्क द्वारा समर्थित रेलवे का मुद्रीकरण अन्य क्षेत्रों के लिये भी अनुकरण योग्य पाठ का कार्य करेगा।

हरित क्रांति' के लिये व्हाईट मॉडल

संदर्भ

हाल ही में देश में 'श्वेत क्रांति' (White Revolution) के नेतृत्वकर्त्ता वर्गीज़ कुरियन की 100वीं जयंती मनाई। श्वेत क्रांति के साथ उन्होंने 'ऑपरेशन फ्लड' (Operation Flood) भी लॉन्च किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम बना।

ऑपरेशन फ्लड ने 30 वर्षों के अंदर भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दोगुना करने में मदद की, जिससे डेयरी फार्मिंग का उभार भारत के सबसे बड़े आत्मनिर्भर ग्रामीण रोज़गार सृजक के रूप में हुआ।

श्वेत क्रांति की इस सफलता का श्रेय सहकारी या अमूल मॉडल (Amul model) को दिया जा सकता है। अमूल मॉडल ने किसानों को उनके द्वारा सृजित संसाधनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान किया, जिससे उन्हें अपने स्वयं के विकास और बाज़ार को निर्देशित करने में मदद मिली।

लेकिन हरित क्रांति या अनाज उत्पादन से संबद्ध किसानों को ऐसी ही सफलता नहीं मिली। यदि हरित क्रांति में श्वेत क्रांति से सीखे गए सबक को कार्यान्वित किया जाए तो यह निश्चित रूप से किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

हरित क्रांति से संबद्ध चिंताएँ

- मोनो-क्रॉपिंग: हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे विभिन्न खाद्यान्न पर केंद्रित रही है। इनमें भी गेहूँ और चावल ही इससे सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं।
  - इसने मोटे अनाज, दलहन और तिलहन उत्पादन के भूमि-क्षेत्रों को खाद्यान्न उत्पादन की ओर मोड़ दिया।
  - इसके परिणामस्वरूप गेहूँ और चावल का तो अत्यधिक उत्पादन होने लगा लेकिन अधिकांश अन्य उत्पादनों में आज भी कमी बनी हुई है।
  - इसके अलावा, कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति के प्रभाव से लगभग अछूती बनी रही हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर और अंतरा क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास के मामले में असमानताओं में वृद्धि को जन्म दिया है।
  - इससे सबसे अधिक लाभान्वित उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुए जबकि दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को अधिक लाभ मिला।

नोट :

- लेकिन इसने पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों को शायद ही कोई लाभ दिया।

- बड़े किसानों को लाभ: हरित क्रांति का उद्देश्य 'इकॉनोमिज़ थ्रू स्केल' (Economies Through Scale) की प्राप्ति के लिये प्रबंधन के तरीकों के साथ वैज्ञानिक सफलताओं को लागू करके उत्पादन में वृद्धि करना था।
  - हरित क्रांति ने बड़े किसानों को लाभान्वित किया है, क्योंकि उनके पास कृषि उपकरण, उन्नत बीज, उर्वरक खरीदने के वित्तीय संसाधन होते हैं और वे फसलों की सिंचाई के लिये जल की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था कर सकते हैं।
- प्रच्छन्न बेरोज़गारी: हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मज़दूरों के बीच व्यापक बेरोज़गारी उत्पन्न की है।
  - सबसे अधिक प्रभावित गरीब और भूमिहीन लोग हुए हैं।
- पर्यावरण का ह्रास: हरित क्रांति ने आर्थिक विकास की तलाश में आधुनिक तकनीकी समाधानों और प्रबंधन विधियों के अनुप्रयोग के साथ ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण का क्षरण किया है।

आगे की राह: श्वेत क्रांति से सीखे गये सबक

- 'लोकल सिस्टम्स' दृष्टिकोण: 'ग्लोबल (या नेशनल) स्केल' समाधानों के बजाय श्वेत क्रांति में आजमाए गये 'लोकल सिस्टम्स' (Local Systems) समाधानों को आजमाया जा सकता है। उदाहरण के लिये:
  - स्थानीय पर्यावरण में मौजूद संसाधन कृषि उद्यम के प्रमुख संसाधन होने चाहिये।
- सहकारी खेती: 'प्राकृतिक खेती' (Natural Farming) में सहकारी प्रबंधन के सिद्धांतों के परिणामस्वरूप समावेशन में वृद्धि और पर्यावरणीय संवहनीयता में सुधार के लिये बेहतर आर्थिक नीतियों एवं बेहतर प्रबंधन पद्धतियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना: दूध की न्यूनतम अस्थिरता का प्रमुख कारण उसकी उच्च प्रोसेसिंग-टू-प्रोडक्शन हिस्सेदारी रही है।
  - अमूल मॉडल किसानों की सहकारी समितियों से दूध की बड़ी मात्रा में खरीद, प्रसंस्करण, अधिक उत्पादन मौसम के दौरान स्किम्ड मिल्क पाउडर के रूप में अतिरिक्त दूध का भंडारण एवं निम्न उत्पादन मौसम के दौरान इसका उपयोग और एक संगठित खुदरा नेटवर्क के माध्यम से दूध के वितरण पर आधारित है।
  - इस प्रकार, सरकार को कृषि क्षेत्र में भी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - इस संदर्भ में, सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के साथ अतिरिक्त 10,000 किसान प्रसंस्करण संगठनों (Farmer Processing Organisations) के निर्माण की घोषणा बेहद आशाजनक है, लेकिन इसे त्वरित गति से लागू करने की आवश्यकता है।
- बाज़ार सुधारों की आवश्यकता: ऑपरेशन फ्लड की सफलता से पता चलता है कि APMC में बाज़ार सुधारों की आवश्यकता है जहाँ मौजूदा APMC मंडी अनुबंध खेती अवसंरचना आदि में आमूलचूल बदलाव किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

श्वेत क्रांति की सफलता का सार इसके लोकतांत्रिक आर्थिक शासन में निहित है, जो लोगों के उद्यम, लोगों के लिये उद्यम और लोगों द्वारा शासित उद्यम के सिद्धांत पर आधारित है।

इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि श्वेत क्रांति से सीखे गए सबक को हरित क्रांति में पुन: प्राण फूँकने के लिये कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

कृषि ऋण के लिये ARCs: आवश्यकता और चुनौतियाँ

संदर्भ

एक ओर भारत में किसान बैंक ऋण प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता कोविड-19 महामारी के बीच और भी अधिक जोखिम विरोधी दृष्टिकोण अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बैंकों को बड़ी संख्या में 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों' (NPAs) की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अपने कृषि ऋणों की वसूली में असमर्थ हैं।

इस संदर्भ में, भारतीय बैंक संघ (IBA) ने हाल ही में आयोजित एक बैठक में कृषि क्षेत्र के 'बैड लोन्स' की समस्या के समाधान के लिये एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) के गठन का प्रस्ताव किया है।

हालाँकि, कृषि क्षेत्र में NPAs से निपटने के लिये एक एकल तंत्र स्थापित करने के संदर्भ से कई समस्याएँ भी संलग्न हैं।

नोट :

कृषि क्षेत्र और 'बैड लोन्स'

- कृषि क्षेत्र के लिये सकल NPA: भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) के अनुसार मार्च 2021 के अंत में कृषि क्षेत्र के लिये बैड लोन्स (सकल NPA) 9.8% के स्तर पर था।
  - इसकी तुलना में यह उद्योग और सेवा क्षेत्रों के लिये क्रमश: 11.3% और 7.5% के स्तर पर थे।
- कृषि ऋण माफी से उत्पन्न समस्याएँ: चुनावों के समय संबद्ध राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी (Farm Loan Waivers) की घोषणा एक 'बिगड़ती साख संस्कृति' (Deteriorating Credit Culture) की ओर ले जाती है।
  - वर्ष 2014 के बाद से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कम-से-कम 11 राज्यों ने कृषि ऋण माफी की घोषणा की है।
  - यह कृषि क्षेत्र में NPAs की वृद्धि के संबंध में बैंकों के बीच चिंता उत्पन्न करता है और बैंकों के लिये वसूली चुनौतियों का कारण बनता है।
    - इससे बैंक फिर उधार देने के लिये अनिच्छुक होने लगते हैं।
  - ये ऋण माफियाँ घोषण करने वाले राज्य या केंद्र सरकार के बजट पर बोझ डालती हैं।
  - इसके साथ ही, ये माफियाँ अंतत: ऋण के प्रवाह को कम करती हैं।
- कृषि क्षेत्र के NPAs से निपटने के लिये वर्तमान तंत्र: वर्तमान में कृषि क्षेत्र में NPAs से निपटने के लिये न तो कोई एकीकृत तंत्र मौजूद है, न ही कोई कानून जो कृषि भूमि पर सृजित बंधक/गिरवी (Mortgages) के प्रवर्तन के मुद्दे को संबोधित कर सके।
  - वसूली कानून, जहाँ कहीं भी कृषि भूमि को संपार्श्विक के रूप में पेश किया जाता है, अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं।
  - गिरवी रखी गई कृषि भूमि पर कानून का प्रवर्तन आमतौर पर राज्यों के 'राजस्व वसूली अधिनियम' (Revenue Recovery Act), ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम- 1993 तथा अन्य राज्य-विशिष्ट नियमों के माध्यम से किया जाता है।

कृषि क्षेत्र के लिये ARCs का निर्माण

- हालिया प्रस्ताव: कृषि क्षेत्र में बैड लोन्स की वसूली में सुधार के लिये प्रमुख बैंकों ने, विशेष रूप से कृषि ऋणों के संग्रह एवं वसूली से निपटने हेतु, एक ARC स्थापित करने की मंशा जताई है।
  - उद्योग क्षेत्र के बैंक NPAs से निपटने के लिये हाल ही में सरकार-समर्थित ARC की स्थापना के साथ कृषि क्षेत्र के लिये भी ARC के निर्माण के विचार को बैंकों के बीच स्वीकार्यता प्राप्त है।
- कृषि ऋणों के लिये ARC के पक्ष में तर्क: चूँकि कृषि बाज़ार बिखरे हुए हैं, कई बैंकों के विपरीत एक एकल संस्था वसूली की लागत को अनुकूलित करते हुए कृषि ऋणों के संग्रह और वसूली की समस्या से निपटने के लिये अधिक उपयुक्त होगी।
  - कृषि भूमि पर सृजित बंधकों के प्रवर्तन से निपटने के लिये एक एकीकृत ढाँचे के अभाव को देखते हुए बकाया की वसूली के लिये निश्चित रूप से एक प्रभावी तंत्र का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

कृषि ऋणों के लिये ARC के विपक्ष में तर्क:

- सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि ARCs के पास NPAs की बड़ी राशि से मेल कर सकने योग्य पर्याप्त धन की उपलब्धता होनी चाहिये।
  - ARC के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो तो भी विक्रेता (बैंक/बैंकों) और क्रेता (ARC) के बीच अपेक्षित मूल्य असंगति ARCs के लिये एक बड़ी चुनौती उत्पन्न करेगा।
- चूँकि ज़मीनी स्तर पर स्थानीय बैंकों की किसी एकल ARC की तुलना में अधिक उपस्थिति होगी, वे बकाया की वसूली के लिये स्थानीय उपायों की खोज में अधिक सक्षम साबित हो सकते हैं।
  - स्थानीय बैंक अधिकारी किसी एकल ARC की तुलना में इन सैकड़ों-हज़ारों छोटे उधारकर्त्ताओं से निपटने में अधिक सफल साबित हो सकते हैं।

नोट :

- चूँकि ग्रामीण भूमि बाज़ार स्पष्ट भूमि स्वामित्व के अभाव और कई हितधारकों की उपस्थिति की विशेषता रखते हैं, कृषि क्षेत्र के लिये विशेष रूप से ARC का गठन विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है।
  - इसके अलावा, भले ही भूमि एक गिरवी रखने योग्य संपत्ति है, यह एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी है।
- एक संभावना यह भी है कि चूँकि 'कृषि' राज्य सूची का विषय है, इस तरह के दृष्टिकोण को राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।

आगे की राह

- अन्य ARCs की सफलता दर का अवलोकन: सरकार ने पहले से ही कॉरपोरेट क्षेत्र के खराब ऋणों के समाधान के लिये ARCs के रूप में एक ऐसा ढाँचा बना रखा है।
  - चूँकि ARCs तंत्र की प्रभावशीलता पर पर्याप्त संदेह व्यक्त किया गया है, एक अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण यह होगा कि पहले इसके अनुभवों का आकलन किया जाए, फिर आगे की राह तय किया जाए।
  - इसके अलावा, अगर वास्तव में कृषि ऋण के लिये भी ऐसे ही एक ढाँचे की आवश्यकता है, तो फिर इसी संरचना को नियोजित किया जा सकता है।
- किसानों की सहायता के अन्य विकल्प: किसानों की सहायता करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जैसे अधिक अनुकूल शर्तों पर समयबद्ध रूप से ऋण तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना।
  - खेती को अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिये एक व्यापक नीतिगत ढाँचा उपलब्ध होना चाहिये।
- NPAs बिक्री प्रक्रिया को आसान बनाना: बैंकों और ARCs के बीच मूल्य निर्धारण के लिये एक कठोर और यथार्थवादी दृष्टिकोण का मौजूद होना अत्यंत आवश्यक है।
  - इस प्रकार, NPAs बिक्री, समाधान, वसूली और पुनरुद्धार की पूरी प्रक्रिया को तेज़ और सुचारू बनाने हेतु नियामक सहित सभी हितधारकों के एक साथ आने की तत्काल आवश्यकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य: समस्याएँ और विस्तार

संदर्भ

तीन कृषि कानूनों को निरस्त किये जाने के बाद अंतत: किसान संगठनों ने एक वर्ष से भी अधिक समय से जारी अपने आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने सभी किसानों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) सुनिश्चित करने हेतु एक समिति गठित करने की किसान संगठनों की माँग को भी स्वीकार कर लिया है।

प्रमुख कृषि जिंसों के लिये MSP निर्धारण का प्रश्न सरकार और किसानों के बीच वार्ता में लगातार एक असहमति का बिंदु बना रहा है।

हालाँकि एक कुशल और कार्यात्मक MSP भर ही निम्न निवेश, राज्य के समर्थन के अभाव और अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन से ग्रस्त कृषि क्षेत्र के गहरे संकट के स्थायी समाधान के लिये पर्याप्त नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- MSP के विषय में: परिभाषा के अनुसार MSP कोई आय समर्थन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे कीमतों को स्थिर करने और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिये सरकारी हस्तक्षेप के रूप में उपयोग हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक सार्वजनिक खरीद कार्यक्रम है।
- MSP की आवश्यकता:
  - वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में आए लगातार दो सूखों (Droughts) के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा।

नोट :

- विमुद्रीकरण (Demonetisation) और 'वस्तु एवं सेवा कर' ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र को के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी, पंगु बना दिया है।
- वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिये परिदृश्य विकट बना हुआ है।
- डीजल, बिजली और उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया ही है।

भारत की MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ

- सीमितता: 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के विपरीत, केवल दो—चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इन्हीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण NFSA के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशत: तदर्थ और महत्त्वहीन ही है।
- अप्रभावी रूप से लागू: शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका, जिसका प्रकट अर्थ यह है कि देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रहे हैं।
- खरीद मूल्य के रूप में: मौजूदा MSP व्यवस्था का घरेलू बाज़ार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य NFSA की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिससे यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय एक खरीद मूल्य के रूप में अस्तित्व रखता है।
- गेहूँ और धान की प्रमुखता वाली कृषि: चावल और गेहूँ के पक्ष में अधिक झुकी MSP प्रणाली इन फसलों के अति-उत्पादन की ओर ले जाती है और किसानों को अन्य फसलों एवं बागवानी उत्पादों की खेती के लिये हतोत्साहित करती है, जबकि उनकी मांग अधिक है और वे किसानों की आय में वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं।
- मध्यस्थ-आश्रित व्यवस्था: MSP-आधारित खरीद प्रणाली मध्यस्थों/बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों पर निर्भर है, जिसे छोटे किसान अपनी पहुँच के लिये कठिन और जटिल पाते हैं।

आगे की राह

- MSP की वास्तविक भावना को समझना: एक मूल्य हस्तक्षेप योजना कोई अद्वितीय प्रयास नहीं है और विश्व के कई देशों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मानक हस्तक्षेप है। एक वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये आवश्यक है कि सरकार हमेशा तब हस्तक्षेप करे जब भी बाज़ार की कीमतें पूर्वनिर्धारित स्तर से नीचे गिरती हैं—मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन और अधिक आपूर्ति के मामले में अथवा जब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कारकों के कारण मूल्य में गिरावट आती है।
  - इसके लिये सरकार को सभी उत्पाद खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल उस सीमा तक खरीदारी करे जो MSP स्तर पर कीमतों को स्थिर करने के लिये बाज़ार में उर्ध्वगामी दबाव बनाता है।
- MSP के दायरे का विस्तार: MSP को उन कई फसलों के लिये प्रोत्साहन मूल्य की तरह भी उपयोग किया जा सकता है जो पोषण सुरक्षा के लिये वांछनीय हैं (जैसे मोटे अनाज, दाल एवं खाद्य तेल) और जिनके लिये भारत आयात पर निर्भर है।
  - खाद्य संबंधी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्त्ताओं द्वारा PDS में दाल, खाद्य तेल और मोटे अनाजों को शामिल करने की लगातार मांगों के बावजूद इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।
  - ये न केवल पोषण सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं बल्कि MSP हस्तक्षेपों से लाभान्वित होने वाले उन किसानों (छोटे और सीमांत किसानों सहित) की संख्या में भी वृद्धि करेंगे जो मोटे अनाज, दाल और खाद्य तेल की खेती से संलग्न हैं।
- कृषि-संबद्ध क्षेत्र में अधिक निवेश: अधिक पोषण मूल्य का सृजन करने वाले पशुपालन (मत्स्य पालन सहित) और फलों एवं सब्जियों में अधिक निवेश करना विवेकपूर्ण होगा।
  - निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका निजी क्षेत्र को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर कुशल मूल्य शृंखला के निर्माण के लिये प्रोत्साहित करना है।

नोट :

- सरकार धान और गेहूँ की खरीद को सीमित करने (जैसे, 10-15 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति किसान) के अलावा उनके MSP को स्थगित करने पर भी विचार कर सकती है।

- मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन: सरकार को कृषि मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन लाना चाहिये जहाँ कृषि मूल्य निर्धारण आंशिक रूप से राज्य-समर्थित हो और आंशिक रूप से बाज़ार-प्रेरित।
  - ऐसा करने का एक तरीका अंतर भुगतान योजना हो सकता है जैसा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'भावांतर भुगतान योजना' (BBY) के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - इस योजना में बाज़ार मूल्य के MSP से नीचे गिरने की स्थिति में सरकार किसानों से खरीद करने के बजाय किसानों को नकद हस्तांतरण के रूप में मुआवज़ा प्रदान करती है।

निष्कर्ष

MSP की गारंटी के लिये न तो धन की कमी है और न ही अवसंरचनात्मक एवं संस्थागत तंत्र की कमी है, बल्कि मूल रूप से कृषि की आवश्यकताओं के संबंध में समझ की कमी है और इससे भी बढ़कर राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी है, जिसके चलते किसानों के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कदम नहीं उठाए जा रहे।

भारत में सर्वाधिक रोज़गार प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र की रक्षा हेतु सरकार द्वारा कम-से-कम यह कदम तो उठाया ही जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-रूस संबंध: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल ही में नई दिल्ली में 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की पहली '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई।

कोविड महामारी के उभार के बाद से किसी भी देश के साथ रूसी राष्ट्रपति की यह पहली द्विपक्षीय बैठक थी, जो यह दर्शाती है कि दोनों देशों के बीच के दीर्घकालिक संबंध अभी भी हमेशा की तरह सुदृढ़ बने हुए हैं।

यद्यपि रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी संघर्ष और भारत एवं रूस के बीच एक व्यापक रूप से फलते-फूलते वाणिज्यिक संबंधों का अभाव दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को पुनर्जीवित करने की राह की दो बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं।

भारत और रूस

- राजनयिक संबंध: भारत और रूस, ब्रिक्स (BRICS) एवं शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सहित कई मंचों पर एक साथ मौजूद हैं।
  - भारत ने 'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन' (Indian Ocean Rim Association- IORA) में रूस को एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल कराने में मदद की है, जो रूस को हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख स्थिति प्रदान कर सकता है।
  - रूस ने मास्को में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों की आपसी बैठक एवं वार्ता को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि लद्दाख में जारी गतिरोध को दूर किया जा सके।
  - इसके साथ ही, भारत की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में रूस ने भारत के साथ अपनी निकटता का मुखर प्रदर्शन किया।
- भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन: यह भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है।
  - नवीनतम शिखर सम्मेलन एक नए 'टू-प्लस-टू' तंत्र का संस्थागत निर्माण है, जो दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों को एक मंच पर लाता है।
  - दोनों देशों के बीच एक नए 10-वर्षीय रक्षा समझौते के संपन्न होने को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
    - अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रूस अब चौथा राष्ट्र बन गया है जिसके साथ भारत ने ऐसा एक संयुक्त फ्रेमवर्क तैयार किया है।
- रक्षा क्षेत्र में हालिया सहयोग: वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार/उपकरण रूसी मूल के हैं और भारत इनके कल-पुर्जों के लिये रूस पर निर्भर है।
  - अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल की खरीद की है।
  - 203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिये रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के एक सौदे पर भी वार्ता चल रही है।
  - फिलहाल भारत S-400 मिसाइलों की खरीद के लिये अमेरिकी प्रतिबंधों से बच गया है, लेकन रूस के साथ भारत के गहरे होते रक्षा संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ चीन को भी असहज और चिंतित करते रहेंगे।

नोट :

- संबंधों का आर्थिक पक्ष: भारत और रूस को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने में उन्होंने भारी विफलता ही पाई है।
  - भारत-रूस का वार्षिक व्यापार मात्र 10 बिलियन डॉलर का है जबकि चीन के साथ रूस का वार्षिक व्यापार 100 बिलियन डॉलर से कुछ मूल्य का ही है।
  - दूसरी ओर, भारत का अमेरिका और चीन के साथ माल का व्यापार 100 बिलियन डॉलर के स्तर पर है।
- रूस के लिये भारत का महत्त्व: अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ लगातार संघर्ष ने मास्को को बीजिंग के सबसे निकट ला दिया है, लेकिन रूस, चीन जैसे पड़ोसी पर पूरी तरह निर्भर रहने के खतरों से भी भलीभाँति परिचित है।
  - जबकि पश्चिम के साथ रूस के संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिये अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है, भारत के साथ पारंपरिक साझेदारी को बनाए रखना मास्को के लिये राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- भारत-रूस संबंध में विद्यमान समस्याएँ:
  - रूस एवं चीन के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी और हिंद-प्रशांत फ्रेमवर्क के प्रति उनका साझा विरोध भारत को असहज करता है।
  - राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत का चीन के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जबकि रूस के साथ उसके अच्छे राजनीतिक संबंधों के बावजूद दोनों देशों के वाणिज्यिक संबंध गतिहीन बने हुए हैं।
    - रूस का व्यापार यूरोप और चीन के प्रति आकर्षित है, वहीं दूसरी ओर भारतीय कॉर्पोरेट अमेरिका और चीन पर केंद्रित हैं।
  - रूस 'क्वाड' (Quad) को 'एशियाई नाटो' (Asian NATO) की तरह देखता है और मानता है कि एशिया में ऐसे सैन्य गठबंधन के प्रतिकूल परिणाम होंगे।

आगे की राह

- भारत के अच्छे मित्रों की आपसी मित्रता:यदि वाशिंगटन और मॉस्को के बीच के संबंधों में सुधार होता है, तो वृहत शक्ति समीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण के प्रति व्यापक रूप से भिन्न दृष्टिकोणों से उत्पन्न संरचनात्मक बाधाओं को कम किया जा सकता है।
  - दोनों देशों के बीच कम संघर्षपूर्ण संबंध भारत के लिये बहुत बड़ी राहत होगी।
  - इसके साथ ही, शक्ति के लिये अमेरिका-चीन के बीच होड़ या चीन के साथ रूस के गहरे होते संबंध भारत के लिये अधिक मायने नहीं रखते अगर चीन के साथ उसके संबंध अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर होते।
- रूसी सुदूर-पूर्व के साथ संपर्क: रणनीतिक साझेदारी में संपर्क (Connectivity) एक अन्य महत्त्वपूर्ण चालक है, जो अंतर्निहित वाणिज्यिक लाभ और समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है।
  - मल्टीमॉडल अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के समानांतर प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर (CVMC) से दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मंशा को बल मिलेगा, जहाँ उसकी नौसैनिक उपस्थिति रूसी सुदूर-पूर्व (Russian Far East) से उसकी ऊर्जा और व्यापार शिपमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
  - साइबेरिया, आर्कटिक और सुदूर पूर्व के दूर-दराज़ के क्षेत्र दुनिया में हाइड्रोकार्बन, धातुकर्म कोक, दुर्लभ-मृदा धातु और कीमती धातुओं के सबसे बड़े भंडार में से एक हैं।
    - भारत और रूस सुदूर पूर्व, आर्कटिक और साइबेरिया में अन्वेषण हेतु संयुक्त निवेश को बढ़ावा देने के लिये जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ कार्य कर सकते हैं।
- ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग: जलवायु परिवर्तन में निहित व्यापक अज्ञात तत्वों को देखते हुए भारत के लिये उपयुक्त होगा कि वह जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर अपने ऊर्जा ट्रांजीशन में तेज़ गति से आगे बढ़े।

नोट :

- ऊर्जा बाज़ार के प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों में से एक रूस, भारत के इस तरह के ट्रांजीशन के लिये एक अनिवार्य भागीदार के रूप में उभर सकता है।
- सौभाग्य से, दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का व्यापक रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन निस्संदेह ही सहयोग के विस्तार के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

- संबंधों में सुधार के लिये बहुपक्षीय संस्थानों का लाभ उठाना: रूस, चीन और भारत के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना भारत और चीन के बीच अविश्वास एवं संदेह को कम करने में भी योगदान दे सकता है।
  - इस संदर्भ में, SCO और RIC त्रिपक्षीय मंच का लाभ उठाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

हालाँकि, भारत और रूस एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वियों के साथ संलग्नता के संबंध में कुछ अधिक नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली और मॉस्को को अपने वाणिज्यिक संबंधों की बदतर स्थिति पर संतुष्ट नहीं बने रहना चाहिये।

अपने संबंधों के पुनरुद्धार की शुरुआत के लिये भारत और रूस को व्यापक आर्थिक सहयोग के लिये एक स्पष्ट मार्ग के निर्माण और हिंद-प्रशांत पर एक-दूसरे की अनिवार्यताओं की बेहतर समझ पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रिक वाहन- भारत का भविष्य

संदर्भ

भारत दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा कार बाज़ार है और निकट भविष्य में शीर्ष तीन देशों में से एक बनने की क्षमता रखता है, जहाँ वर्ष 2030 तक लगभग 40 करोड़ ग्राहकों को मोबिलिटी समाधान की आवश्यकता होगी।

हालाँकि, पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, ऑटोमोबाइल ग्राहकों की बढ़ती संख्या का परिणाम पारंपरिक ईंधन की खपत में वृद्धि के रूप में सामने नहीं आना चाहिये।

वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emissions) प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक विकास दर सुनिश्चित करने के लिये भारत में एक परिवहन क्रांति की आवश्यकता है, जो बेहतर 'वाकेबिलिटी' (Walkability), बेहतर रेलवे एवं सड़कों के साथ बेहतर सार्वजनिक परिवहन और बेहतर कारों की ओर ले जाएगी। इन 'बेहतर कारों' में से कई के इलेक्ट्रिक होने की संभावना है।

हाल में, ऑटोमोटिव पेशेवरों और लोगों के बीच एकसमान रूप से सहमति बढ़ी है कि वाहनों का भविष्य इलेक्ट्रिक होने में ही निहित है। हालाँकि, इस परिप्रेक्ष्य में, भारत द्वारा अभी बैटरी निर्माण, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना आदि कई विषयों में वृहत कार्य करना शेष है।

इलेक्ट्रिक वाहन और भारत

- उत्पत्ति और बढ़ता दायरा: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर अधिकाधिक बल देना वैश्विक जलवायु एजेंडे से प्रेरित है। ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिये कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु पेरिस समझौते के तहत इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है।
  - वैश्विक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के तेज़ विकास के संदर्भ में परिभाषित की जाती है।
  - वर्तमान में बिक्री की जा रही प्रत्येक सौ कारों में से दो इलेक्ट्रिक हैं और वर्ष 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2.1 मिलियन तक पहुँच चुकी थी।
    - वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 8 मिलियन थी, जो वैश्विक वाहन स्टॉक के 1% और वैश्विक कार बिक्री के 2.6% का प्रतिनिधित्व करती है।
  - बैटरी लागत में आ रही गिरावट और प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि भी वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ा रही है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता: भारत को एक परिवहन क्रांति की आवश्यकता है।
  - महँगे आयातित ईंधन से संचालित कारों की संख्या को और बढ़ाया जाना और अवसंरचनात्मक बाधाओं एवं तीव्र वायु प्रदूषण से पहले से ही पीड़ित अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहरों को और अव्यवस्थित किया जाना संवहनीय या व्यावहारिक नहीं है।
  - परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ट्रांजीशन वर्तमान युग की आशावादी वैश्विक रणनीति है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत का समर्थन: भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक 'EV30@30 अभियान' का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को कम-से-कम 30% करना है।
  - ग्लासगो में आयोजित COP26 में जलवायु परिवर्तन शमन के लिये भारत द्वारा पाँच तत्वों (जिसे 'पंचामृत' कहा गया है) की वकालत इसी दिशा में जताई गई प्रतिबद्धता है।
    - ग्लासगो शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा कई प्रतिबद्धताएँ जताई गई, जिनमें भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा से पूरा करना, वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना और वर्ष 2070 तक 'शुद्ध शून्य' लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है।

नोट :

- भारत सरकार ने देश में ईवी पारितंत्र के विकास और प्रोत्साहन के लिये कई उपाय किये हैं, जैसे:
  - पुनर्गठित फेम II (FAME II- Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना
  - आपूर्तिकर्त्ता पक्ष के समर्थन हेतु, उन्नत रसायन विज्ञान सेल (Advanced Chemistry Cell- ACC) के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive- PLI) योजना
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिये हाल ही में शुरू की गई 'ऑटो और ऑटोमोटिव घटकों के लिये PLI पीएलआई योजना'।

संबद्ध चुनौतियाँ

- बैटरी निर्माण: आकलन किया गया है कि वर्ष 2020-30 तक भारत की बैटरी की संचयी मांग लगभग 900-1100 GWh होगी।
  - किंतु भारत में बैटरियों के लिये एक विनिर्माण आधार की अनुपस्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये पूर्णत: आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
  - सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत ने वर्ष 2021 में 1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के लिथियम-आयन सेल का आयात किया, जबकि अभी पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी भंडारण की पैठ नगण्य ही है।
- उपभोक्ता संबंधी मुद्दे: वर्ष 2018 में भारत में केवल 650 चार्जिंग स्टेशन ही उपलब्ध थे, जो पड़ोसी समकक्ष देशों की तुलना में पर्याप्त कम है, जहाँ 5 मिलियन से अधिक चार्जिंग स्टेशन संचालित थे।
  - चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण उपभोक्ताओं के लिये लंबी दूरी की यात्रा करना अव्यावहारिक हो जाता है।
  - इसके अलावा, एक निजी लाइट-ड्यूटी स्लो चार्जर का उपयोग कर घर पर वाहन को फुल चार्ज करने में 12 घंटे तक का समय लग जाता है।
  - इसके साथ ही, एक बेसिक इलेक्ट्रिक कार की लागत पारंपरिक ईंधन से संचालित कार की औसत लागत से बहुत अधिक है।
- नीतिगत चुनौतियाँ: EV उत्पादन एक पूंजी गहन क्षेत्र है जहाँ 'ब्रेक ईवन' स्थिति और लाभ प्राप्ति के लिये एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है, जबकि EV उत्पादन से संबंधित सरकारी नीतियों की अनिश्चितता इस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करती है।
- प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम की कमी: भारत बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में प्रौद्योगिकीय रूप से पिछड़ा हुआ है जबकि यह क्षेत्र EV उद्योग की रीढ़ है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग लागत अधिक होती है जिसके लिये उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे कौशल विकास के लिये समर्पित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव है।
- घरेलू उत्पादन के लिये सामग्री की अनुपलब्धता: बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है।
  - भारत में लिथियम और कोबाल्ट का कोई ज्ञात भंडार नहीं है जो बैटरी उत्पादन के लिये आवश्यक है।
  - लिथियम-आयन बैटरी के आयात के लिये अन्य देशों पर निर्भरता बैटरी निर्माण क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने में एक बाधा है ।

आगे की राह

- भविष्य के उपाय के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन: EVs समग्र ऊर्जा सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने में योगदान देगा, क्योंकि देश अपने कच्चे तेल की कुल आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है, जो लगभग 100 बिलियन डॉलर मूल्य का है।
  - अपेक्षा है कि EVs को बढ़ावा देना स्थानीय EVs विनिर्माण उद्योग में रोज़गार सृजन के मामले में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।
  - इसके अतिरिक्त, विभिन्न ग्रिड समर्थन सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन ग्रिड को सुदृढ़ करने और सुरक्षित एवं स्थिर ग्रिड संचालन को बनाए रखते हुए उच्च नवीकरणीय ऊर्जा प्रवेश को समायोजित करने में भी मदद कर सकेंगे।
- बैटरी निर्माण और भंडारण के अवसर: ई-मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा (वर्ष 2030 तक 450 GW ऊर्जा क्षमता लक्ष्य) को बढ़ावा देने के सरकारी पहलों को देखते हुए, नवीनतम प्रौद्योगिकी व्यवधानों के साथ देश में सतत् विकास को बढ़ावा देने में बैटरी भंडारण वृहत अवसर प्रदान कर सकता है।

नोट :

- प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते स्तरों के साथ मोबाइल फोन, यूपीएस, लैपटॉप, पावर बैंक जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिनमें उन्नत रसायन बैटरी (ACC) की आवश्यकता होती है।
- यह उन्नत बैटरी विनिर्माण को 21वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक अवसरों में से एक बनाता है।

- EV चार्जिंग अवसंरचना: EV चार्जिंग अवसंरचना (जो स्थानीय बिजली आपूर्ति से ऊर्जा प्राप्त करेगी) निजी आवासों, पेट्रोल एवं सीएनजी पंपों जैसे जनोपयोगी सेवाओं और मॉल, रेलवे स्टेशनों एवं बस डिपो जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग सुविधाओं में स्थापित की जा सकती है।
  - ऊर्जा मंत्रालय ने प्रत्येक 3X3 ग्रिड के लिये और राजमार्ग के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज, 2016 (MBBL) के तहत आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में EV चार्जिंग सुविधाओं के लिये 20% पार्किंग स्थान को अलग रखने का आदेश दिया है।
    - MBBL को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकारों को अपने संबंधित भवन उप-नियमों में आवश्यक संशोधन करने की भी आवश्यकता होगी।
- EVs में R&D बढ़ाना: भारतीय बाज़ार को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता है जो भारत के लिये रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से अनुकूल होंगे।
  - चूँकि कीमतों को कम करने के लिये स्थानीय अनुसंधान और विकास में निवेश आवश्यक है, इसलिये स्थानीय विश्वविद्यालयों और मौजूदा औद्योगिक केंद्रों का लाभ उठाना विवेकपूर्ण होगा।
  - भारत को यू.के. जैसे देशों के साथ कार्य करना चाहिये और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में सामंजस्य लाना चाहिये।

The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा

संदर्भ

सरकारों, नागरिकों और निजी क्षेत्र के बीच मज़बूत सहयोग और साझेदारी के साथ वर्ष 2030 तक विश्व को भुखमरी से मुक्त करने और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिये विश्व परिवर्तन की कगार पर है ।

सर्वाधिक कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिये UNFCCC के COP-26 शिखर सम्मेलन में योगदानकर्त्ता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा नए समर्थन के रूप में 356 मिलियन डॉलर की राशि भी जुटाई गई।

निश्चित रूप से ये सभी प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन विश्व में खाद्य सुरक्षा का संकट अभी भी बना हुआ है और कोविड-19 महामारी द्वारा इस समस्या को और गहरा ही किया गया है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विकास एवं संवहनीयता के संतुलन, जलवायु परिवर्तन के शमन, स्वस्थ, सुरक्षित एवं किफायती भोजन की सुनिश्चितता और इसके लिये सरकारों एवं निजी क्षेत्र की ओर से निवेश की दिशा में खाद्य प्रणाली की पुनर्कल्पना की जाने की आवश्यकता है।

जलवायु संकट और भुखमरी

- जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली का अंतर्संबंध: जलवायु संकट वैश्विक खाद्य प्रणाली के सभी भागों को (उत्पादन से लेकर उपभोग तक) प्रभावित करता है।
  - यह भूमि एवं फसलों को नष्ट करता है, पशुधन का ह्रास करता है, मत्स्य पालन को कम करता है एवं बाज़ारों को आपस में जोड़ने वाले परिवहन में कटौती करता है, जिससे यह खाद्य उत्पादन, उपलब्धता, विविधता, पहुँच और सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।
    - इसके साथ ही, खाद्य प्रणालियाँ भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और जलवायु परिवर्तन की वाहक हैं। आँकड़े बताते हैं कि खाद्य क्षेत्र विश्व के लगभग 30% ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
  - COP-26 का आयोजन अग्रगामी संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन (UN Food Systems Summit) के बाद हुआ जो इस तथ्य के संदर्भ में 'वेक-अप कॉल' की तरह था कि खाद्य प्रणालियाँ असमानता और बधायुक्त हैं क्योंकि 811 मिलियन लोग भूखे सोने को मज़बूर हैं।
- जलवायु-भुखमरी संकट वर्तमान परिदृश्य: वर्ष 2030 तक वैश्विक भुखमरी और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने का एजेंडा विकट चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि जलवायु संकट लगातार बिगड़ता जा रहा है।
  - कोविड-19 महामारी ने चरम भुखमरी की शिकार आबादी की संख्या को दोगुना (130 मिलियन से बढ़कर 270 मिलियन) करते हुए इस संकट को और गहन कर दिया है।
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अनुसार, औसत वैश्विक तापमान में पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि 189 मिलियन अतिरिक्त लोगों को भुखमरी की ओर धकेल देगी।
  - IPCC की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु संकट न केवल खाद्य उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करेगा, बल्कि मल्टी-ब्रेडबास्केट विफलताओं के माध्यम से पोषण को भी खतरा पहुँचाएगा।
- कमज़ोर समूह-न्यूनतम उत्सर्जक, अधिकतम पीड़ित: कमज़ोर समुदाय, जिनका एक विशाल बहुमत निर्वाह कृषि, मछली पकड़ने और पशुधन पालन पर निर्भर है और जो जलवायु संकट में न्यूनतम योगदान करता है, अपने सीमित साधनों के साथ प्रभावों से सर्वाधिक हानि सहना जारी रखेंगे।
  - शीर्ष 10 सबसे अधिक खाद्य-असुरक्षित देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 0.08% का योगदान करते हैं।

नोट :

- फसल विफलता, जल की कमी और घटते पोषण स्तर से उन लाखों लोगों को खतरा है जो कृषि, मछली पकड़ने और पशुधन पर निर्भर हैं।

- खाद्य सुरक्षा जाल जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति खाद्य असुरक्षित लोगों को अस्तित्व बनाए रखने के लिये मानवीय सहायता पर निर्भर रहने हेतु मजबूर करती है।

- जलवायु संकट और खाद्य सुरक्षा के लिये WFP की पहल: खाद्य उत्पादन, सुरक्षित आय और आघात सहने की क्षमता को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति समुदायों को अनुकूल बनाने के लिये WFP उनके साथ कार्य कर रहा है। इसने 39 सरकारों का समर्थन किया है और यह उन्हें अपनी राष्ट्रीय जलवायु महत्त्वाकांक्षाओं को साकार करने में सहायता प्रदान कर रहा है।
  - वर्ष 2020 में WFP ने 28 देशों में जलवायु जोखिम प्रबंधन समाधान लागू किये, जिससे छह मिलियन से अधिक लोगों को लाभ हुआ ताकि वे जलवायु झटके और तनाव के प्रति बेहतर तरीके से तैयार हो सकें और तेज़ी से पुनरुद्धार कर सकें।
  - भारत में WFP और पर्यावरण मंत्रालय अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) से संभावित समर्थन के साथ अनुकूलन और शमन पर एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल विकसित करने की योजना बना रहे हैं।

आगे की राह

- गरीबों के लिये लचीली व्यवस्था का निर्माण: गरीब और कमज़ोर समुदायों के लिये अनुकूलन और लचीली व्यवस्था का निर्माण (Resilience-Building) खाद्य सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोगों और प्रकृति पर जलवायु चरम घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव बढ़ते तापमान के साथ बढ़ते रहेंगे, सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान के अनुरूप और विकासशील देश पक्षकारों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं पर विचार करते हुए कार्रवाई एवं समर्थन (वित्त, क्षमता-निर्माण, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) की वृहद्ता, अनुकूलन क्षमता की वृद्धि, प्रत्यास्थता के सुदृढ़ीकरण और भेद्यता को कम करने पर बल दिया जाना आवश्यक है।
- भारत की भूमिका: भारत को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर जारी और अब पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नीतिगत कार्य के साथ एक बड़ी भूमिका निभानी है।
  - उच्च कृषि आय और पोषण सुरक्षा के लिये इसे अपनी खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करते हुए इन्हें अधिक समावेशी और संवहनीय बनाना होगा।
  - जल के अधिक समान वितरण और संवहनीय एवं जलवायु आधारित कृषि के लिये बाजरा, दलहन, तिलहन, बागवानी की ओर फसल पैटर्न के विविधीकरण की आवश्यकता है।
- अनुकूलन वित्त: विकासशील देशों में अनुकूलन का समर्थन करने के लिये जलवायु वित्त (climate finance) को बढ़ाने पर विकसित देशों द्वारा हाल में जताई गई प्रतिबद्धता एक स्वागत योग्य संकेत है।
  - हालाँकि अनुकूलन के लिये मौजूदा जलवायु वित्त का स्तर और हितधारकों का आधार बदतर होते जलवायु परिवर्तन प्रभावों का मुकाबला कर सकने के लिये अपर्याप्त है।
  - बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र को जलवायु योजनाओं को साकार करने हेतु (विशेष रूप से अनुकूलन के लिये) आवश्यक वृहत संसाधनों की आपूर्ति के लिये वित्त जुटाने में और तेज़ी लानी होगी।
  - विभिन्न पक्षकारों को अनुकूलन के लिये निजी स्रोतों से वित्त जुटाने हेतु नवीन दृष्टिकोणों और साधनों का पता लगाना जारी रखना होगा।
- जलवायु-भुखमरी संकट से निपटने के लिये बहु-आयामी दृष्टिकोण:
  - कमज़ोर समुदायों की आजीविका की रक्षा और उनमें सुधार के माध्यम से प्रत्यास्थी आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा समाधान का सृजन करना।
  - पोषण सुरक्षा के लिये बाजरा जैसे जलवायु-प्रत्यास्थी खाद्य फसलों का अनुकूलन।
  - उत्पादन प्रक्रियाओं एवं संपत्तियों पर महिलाओं के नियंत्रण एवं स्वामित्व को सक्षम बनाना और मूल्यवर्द्धन एवं स्थानीय समाधानों में वृद्धि करना।

नोट :

- जलवायु सूचनाओं एवं तैयारियों के साथ छोटे किसानों के लिये संवहनीय अवसरों, वित्त तक पहुँच और नवाचार के सृजन के माध्यम से प्रत्यास्थी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- भेद्यता विश्लेषण के लिये नागरिक समाज एवं सरकारों की क्षमता एवं ज्ञान का निर्माण करना ताकि खाद्य सुरक्षा और जलवायु जोखिम के बीच की संबंध को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा की वृद्धि की जा सके।

- संवहनीय खाद्य प्रणाली: उत्पादन, मूल्य श्रृंखला और उपभोग में संवहनीयता हासिल करनी होगी। जलवायु-प्रत्यास्थी फसल पैटर्न को बढ़ावा देना होगा। संवहनीय कृषि के लिये किसानों को इनपुट सब्सिडी प्रदान करने के बजाय नकद हस्तांतरण किया जा सकता है।
- गैर-कृषि क्षेत्र की भूमिका: श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवाएँ कृषि पर से दबाव को कम कर सकती हैं।
  - छोटे जोतदारों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिये कृषि से होने वाली आय पर्याप्त नहीं है।
  - ग्रामीण MSMEs और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सशक्त बनाना इस समाधान का एक अंग होगा।

निष्कर्ष

खाद्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना के लिये इसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के नज़रिये से देखना होगा, जहाँ उन्हें हरित और संवहनीय बनाने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन एवं महामारियों के प्रति लचीला बनाना भी आवश्यक है।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

महिला कार्यबल और महिलाओं के खिलाफ अपराध

संदर्भ

पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है और प्रजनन दर में गिरावट आई है। इन दोनों स्थितियों ने विश्व भर में वैतनिक श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी की वृद्धि में योगदान किया है, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं हो सका है।

भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate- FLFPR) वर्ष 2011-12 में 31.2% से गिरकर वर्ष 2018-19 में 24.5% रह गई है।

घरेलू उत्तरदायित्व, सामाजिक मानदंड, सीमित अवसर और सहायक अवसंरचना के अभाव जैसे विभिन्न कारकों के साथ ही यौन हिंसा का भय (महिला विरुद्ध अपराध का परिदृश्य) एक प्रमुख कारक है, जो श्रम बल से महिलाओं के बहिर्वेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी की बदतर स्थिति

- FLFPR में गिरावट: भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) इसकी अर्थव्यवस्था की एक भ्रमकारी विशेषता है।
  - जबकि पिछले दो दशकों में उत्पादन दोगुना से अधिक हो गया है और कामकाजी आयु की महिलाओं की संख्या में एक चौथाई की वृद्धि हुई है, नौकरियों में महिलाओं की संख्या में 10 मिलियन की गिरावट आई है।
- लैंगिक समानता सूचकांक द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा: वैश्विक सूचकांक और लैंगिक सशक्तीकरण के मापक भी एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं।
  - वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2021 के अनुसार भारत 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर है, जो वर्ष 2006 में इसके 98वें स्थान की तुलना में एक बड़ी गिरावट को दर्ज करता है।
  - भारत के FLFPR (वर्ष 2018-19 में 24.5%) में भी गिरावट आ रही है और यह 45% के वैश्विक औसत से काफी नीचे है।
- वर्तमान शिक्षा और रोज़गार परिदृश्य: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के लगभग एक दशक बाद भारत प्राथमिक स्तर पर लैंगिक समानता के निकट पहुँचने में सफल हुआ है। वर्ष 2011 और 2019 के बीच उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन दर में वृद्धि हुई।
  - अधिकाधिक महिलाओं द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ महिलाओं की एक बड़ी संख्या का रोज़गार बाज़ार में प्रवेश करना भी अपेक्षित है। लेकिन वास्तविक स्थिति विरोधाभासी है।
  - वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत से ही भारत का FLFPR गिरावट की ओर उन्मुख है; देश में महिलाओं की बेरोज़गारी दर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
  - अधिकाधिक महिलाओं के शिक्षित होने के बावजूद, कार्यबल में उनके शामिल होने की संभावना कम ही है।
- महिलाओं के श्रम बाज़ार विकल्पों में बाधा डालने वाले कारक: घटते FLFPR और महिलाओं के श्रम बाज़ार विकल्पों में बाधा डालने वाले कारकों के बीच मज़बूत सह-संबंध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन बाधाओं में शामिल हैं:
  - घरेलू उत्तरदायित्व और अवैतनिक देखभाल का बोझ
  - व्यावसायिक अलगाव और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के सीमित अवसर
  - पाइप के माध्यम से जलापूर्ति और खाना पकाने के ईंधन जैसे सहायक अवसंरचनाओं की अपर्याप्तता
  - सुरक्षा और गतिशीलता विकल्पों की कमी
  - सामाजिक मानदंडों और पहचानों की परस्पर क्रिया
  - महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध अपराध (CaW&G), जो निस्संदेह महिलाओं की समान भागीदारी और समाज के लिये योगदान की राह में सबसे प्रकट बाधा है।

नोट :

FLFPR को प्रभावित करने वाले महिला विरुद्ध अपराध

- NCRB रिपोर्ट आधारित अध्ययन: एक अध्ययन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध के आँकड़ों के विश्लेषण से उन अपराधों का आकलन किया गया जो महिलाओं को कार्य पर जाने से रोकते हैं और सुरक्षा की कमी की धारणा को सुदृढ़ करते हैं।
  - यह पाया गया कि वर्ष 2011-17 के बीच जहाँ अखिल भारतीय FLFPR में 8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, वहीं CaW&G की दर तीन गुना बढ़ती हुई 57.9% हो गई।
  - व्यपहरण एवं अपहरण (Kidnapping and Abduction- K&A) और यौन उत्पीड़न में तीन गुना वृद्धि हुई, जबकि बलात्कार एवं छेड़छाड़ की दरों में दोगुना वृद्धि हुई।
- FLFPR व्युत्क्रमानुपाती है CaW&G में वृद्धि के: इसी अध्ययन में पाया गया कि FLFPR एवं CaW&G की दर और FLFPR एवं K&A दर के बीच नकारात्मक सह-संबंध है।
  - ये दोनों ऐसे ठोस कारक माने जा सकते हैं जो महिलाओं की इच्छा और कार्य के लिये बाहर निकलने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
    - ये महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं।
- FLFPR और CaW&G पर राज्य संबंधी आँकड़े: हिमाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़ और सिक्किम राज्य अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में अपराध की कम दर के मुकाबले उच्च FLFPR का प्रदर्शन करते हैं।
  - बिहार, दिल्ली, असम और त्रिपुरा—जिन राज्यों में FLFPR सबसे कम था, उनमें ही अपराध दर सबसे अधिक थी।
    - वर्ष 2011-17 की अवधि में बिहार के CaW&G दर में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि में इसकी FLFPR घटकर लगभग आधी रह गई। बिहार का FLFPR भारत में सबसे न्यूनतम है।
    - त्रिपुरा में भी FLFPR में भारी गिरावट (24% अंक) के साथ-साथ CaW&G में 51% की वृद्धि देखी गई (वर्ष 2017)।
    - दिल्ली के CaW&G में चार गुना वृद्धि हुई और यह 31% से बढ़कर 133% हो गई, जबकि इसके FLFPR में मामूली गिरावट आई।
    - असम के CaW&G में भी चार गुना वृद्धि हुई और FLFPR में गिरावट दर्ज की गई।

आगे की राह

- सुरक्षात्मक दृष्टिकोण: जबकि महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा उन कई बाधाओं में से एक है जो उनकी गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है और उनकी श्रम बल भागीदारी की संभावना को कम करती है, इस चुनौती से निपटने के लिये राज्य, संस्थानों, समुदायों और परिवारों को संलग्न करने वाले एक व्यापक तंत्र की आवश्यकता है।
  - महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिये नीतियों और हस्तक्षेपों के निर्माण में सेवाओं, दृष्टिकोण, समुदाय-केंद्रीयता, महिलाओं के सशक्तीकरण, परिवहन एवं अवसंरचना और युवा हस्तक्षेप पर केंद्रित 'सुरक्षा' ढाँचे को अपनाना एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो सकता है।
- महिलाओं को घर में ही बनाए रखने के प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंडों को तोड़ना: बाह्य हिंसा पर सार्वजानिक ध्यान न केवल महिलाओं के रोज़गार के संदर्भ में भ्रामक है, बल्कि इसके बहाने महिलाओं को घर में ही बनाए रखना इस वस्तुस्थिति पर भी पर्दा डालता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में बड़ा योगदान उन लोगों का भी है जो उनसे परिचित (जैसे पति, साथी, परिवारजन, मित्र) होते हैं।
  - महिलाओं को घर के अंदर बंद रखना कई कारणों से बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है; सबसे अधिक इसलिये कि यह अपने घोषित उद्देश्य (यानी उन्हें हिंसा से बचाना) में ही विफल रहता है।
  - महिलाओं की आवश्यकता यह नहीं है कि सुरक्षा के नाम पर उन्हें घर में अवरुद्ध रखा जाए, बल्कि एक बेहतर नीतिगत दृष्टिकोण और रोज़गार अवसरों तक पहुँच तथा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, जो उन्हें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित बनाएगा।

नोट :

- महिलाओं की भागीदारी के महत्त्व को समझना: लैंगिक समानता हासिल करना वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 770 बिलियन डॉलर का योगदान कर सकता है। यह अवसर मुख्य रूप से श्रम बल में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर निर्भर करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का आकलन है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 27% अधिक होगा यदि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भी पुरुषों के समान संख्या में भागीदारी होगी।
  - लैंगिक असमानता को दूर करने का कोई त्वरित उपचार नहीं हैं; इसके लिये भारत में लैंगिक मानदंडों में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि का स्वत: यह अर्थ नहीं है कि महिला श्रम बल की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड, अवसरों की कमी और यौन अपराधों का शिकार होने का भय अभी भी महिलाओं के लिये देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनने की राह में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। महिला सशक्तीकरण का एकमात्र समाधान शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ही है।

भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता

संदर्भ

निस्संदेह भारत एक अत्यधिक विषमतापूर्ण अर्थव्यवस्था है। भारत का घरेलू सर्वेक्षण उपभोग, आय और धन को व्यापक रूप से कम करके दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं।

इसके साथ ही इस अनुमान पर संदेह कर सकना कठिन है कि कोविड-19 ने विद्यमान दोषों को और गहरा कर दिया है, जिससे गहन रूप से व्याप्त असमानताओं में और वृद्धि हो रही है।

इस अवधि के दौरान अत्यंत अमीर लोगों की संपत्ति में हुई वृद्धि की तुलना पैदल ही अपने गाँव लौटने को विवश उन लाखों प्रवासी श्रमिकों की विपदा के साथ करें तो देश में आर्थिक विषमताओं की चरम स्थिति स्पष्ट नज़र आ जाती है।

इस संदर्भ में, विश्व असमानता रिपोर्ट (2022) का नवीनतम संस्करण एक उपयोगी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है और यह दर्शाता है कि आय की एकाग्रता पिरामिड के शीर्ष पर हो रही है।

भारत में सामाजिक-आर्थिक विषमता:

- असमानता के क्षेत्र: सामान्यत: समग्र रूप से भारत में असमानता की चर्चा उपभोग, आय और धन के मामले में असमानताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखती है।
  - किंतु देश में 'अवसरों' के मामलों में भी उच्च स्तर की असमानता विद्यमान है।
- अवसरों में असमानता को प्रभावित करने वाले कारक: किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का वर्ग, उसके जन्म का घर, उसके माता-पिता कौन हैं- ये सभी विषय उसकी शैक्षिक उपलब्धि, रोज़गार और आय की संभावनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं और इसके परिणामस्वरूप उसके गंतव्य/उपलब्धि का वर्ग तय करते हैं।
  - पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता के निम्न स्तर पर स्थित कमज़ोर/वंचित परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों के लिये आय की सीढ़ी पर आगे बढ़ने की संभावना कम होती है।

विश्व असमानता रिपोर्ट के भारत संबंधित विशिष्ट निष्कर्ष:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब दुनिया के सर्वाधिक विषमतापूर्ण देशों में से एक है।
- भारत में शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 57% अर्जित करती है।
- शीर्ष 10% के अंदर शीर्षस्थ 1% अभिजात वर्ग 22% आय अर्जित करता है।
- इसकी तुलना में राष्ट्रीय आय में निचले स्तर के 50% की हिस्सेदारी घटकर मात्र 13% रह गई है।
- भारत में महिला श्रमिकों की आय में हिस्सेदारी 18% है जो एशिया में उनके औसत से पर्याप्त कम है [21% चीन को छोड़कर]।

नोट :

- कोविड-19 महामारी का प्रभाव: कोविड ने शिक्षा में व्याप्त असमानता की स्थिति को और बदतर किया है एवं श्रम बाज़ार पर नकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव डाला है और आय असमानता में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक गतिशीलता के अवरुद्ध होने की संभावना है।
- शिक्षा पर प्रभाव: ASER 2021 ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने और शिक्षा के ऑनलाइन मोड की ओर संक्रमण ने गरीब और अमीर परिवारों के बच्चों के बीच 'लर्निंग' अंतराल में वृद्धि की है।
  - निम्न-आय परिवारों के छोटे बच्चे स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट जैसे लर्निंग करने के तकनीकी माध्यमों से अधिक वंचित हुए।
  - इसके अलावा स्मार्टफोन उपलब्धता वाले परिवारों में भी एक-चौथाई से अधिक बच्चे इसके उपयोग से वंचित रहे।
- रोज़गार पर प्रभाव: महामारी की शुरुआत से ही भारत में श्रम बल की भागीदारी में गिरावट आई है, विशेष रूप से महिला श्रमबल के बीच यह गिरावट दर्ज की गई।
  - इसी अवधि में बेरोज़गारी दर 7.5% से बढ़कर 8.6% हो गई, जिसका अर्थ यह है कि नौकरी की तलाश करने वालों लोगों में से नौकरी पाने में असमर्थ रहे (यहाँ तक कि संभवत: कम वेतन पर भी) लोगों की संख्या में वृद्धि हुई।
  - जिन लोगों के पास नौकरी है, उनमें से भी अधिकाधिक अनियमित/आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिक के रूप में नियोजित किये जा रहे हैं।
  - कार्यबल के बढ़ते 'कैज़ुअलाइज़ेशन' (casualization) या 'कॉन्ट्रैक्टुअलाइज़ेशन'/संविदाकरण (contractualisation) का अर्थ है अच्छे भुगतान वाली नौकरियों का अभाव।

आगे की राह

- नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल: धन के वर्तमान पुनर्वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिये वर्तमान नव-उदारवादी मॉडल को 'नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल' (Nordic Economic Model) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
  - इस मॉडल में सभी के लिये प्रभावी कल्याणकारी सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार, अमीरों के लिये उच्च कराधान आदि शामिल हैं।
- राजनीतिक सशक्तीकरण: यह निर्धनता उन्मूलन का पहला प्रमुख घटक है। राजनीतिक सक्षमता वाले लोग बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा की माँग कर सकेंगे और इसे प्राप्त कर सकेंगे।
  - यह समाज में व्याप्त संरचनात्मक असमानता और सांप्रदायिक विभाजन को भी मिटाएगा।
- धन का पुनर्वितरण: विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 अरबपतियों पर एक उपयुक्त/ प्रगतिशील संपत्ति कर (Progressive Wealth Tax) अधिरोपित करने का सुझाव देती है।
  - बड़ी मात्रा में धन संकेंद्रण को देखते हुए प्रगतिशील कर सरकारों के लिये उल्लेखनीय मात्रा में राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।
  - 1 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति के लिये 1.2% की वैश्विक प्रभावी संपत्ति कर दर वैश्विक आय का 2.1% राजस्व उत्पन्न कर सकती है।
- बुनियादी आवश्यकताओं की पहुँच बढ़ाना: भारत में बढ़ती असमानता को देखते हुए स्पष्ट सार्वजनिक नीतियाँ लानी चाहिये। जनसंख्या के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकाधिक व्यापक प्रसार करने की आवश्यकता है।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ, रोज़गार गारंटी योजनाओं जैसी सार्वजनिक वित्तपोषित उच्च गुणवत्तायुक्त सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित कर असमानता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- रोज़गार सृजन: कपड़ा, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता सामान जैसे विनिर्माण क्षेत्रों के विकास में व्याप्त बाधाएँ बढ़ती असमानताओं का एक महत्त्वपूर्ण कारण हैं।
  - श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में उन लाखों लोगों को समाहित करने की क्षमता है, जो खेती छोड़ रहे हैं जबकि सेवा क्षेत्र शहरी मध्यम वर्ग को लाभान्वित कर सकता है।

नोट :

- वेतन असमानताओं को कम करना: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अनुशंसा की है कि एक न्यूनतम वेतन सीमा इस तरह से निर्धारित की जानी चाहिये जो व्यापक आर्थिक कारकों के साथ श्रमिकों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को संतुलित करे।
- नागरिक समाज को बढ़ावा देना: पारंपरिक रूप से उत्पीड़ित और दमित समूहों को अधिकाधिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना जहाँ इन समूहों के भीतर यूनियन और संघ जैसे नागरिक समाज समूहों को सक्षम करना शामिल है।
  - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उद्यमी बनने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये; स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं का वित्तपोषण बढ़ाकर इसकी पहुँच को व्यापक करने की आवश्यकता है।
- लैंगिक समानता को आत्मसात करना: अर्थव्यवस्था में महिलाओं के पूर्ण समावेशन हेतु बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसमें श्रम बाज़ार, संपत्ति के अधिकार और लक्षित ऋण एवं निवेश तक पहुँच प्रदान करना शामिल है।
  - अधिकाधिक महिलाओं को उद्यमी बनने के लिये प्रोत्साहित करने से दीर्घकालिक समाधान प्राप्त होगा।
  - रोज़गार सृजन और स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देकर महिलाओं में उद्यमिता की वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर सकती है।

निष्कर्ष

- यह स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी ने समाज के कमज़ोर वर्ग को विशेष रूप से रोज़गार और शिक्षा के मामले में अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के साथ-साथ इन वर्गों को शिक्षित और नियोजित करने के लिये सक्षम परिस्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें श्रम बाज़ार में एकसमान अवसर प्रदान करने हेतु ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
- इसके अलावा अत्यधिक अमीर लोगों पर धन कर के अधिरोपण और एक सुदृढ़ पुनर्वितरण व्यवस्था से बढ़ती असमानता की मौजूदा प्रवृत्ति को अगर व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता, तो इस पर रोक तो अवश्य लगाया जा सकता है।

The Vision

नोट :